विषय-वस्तु

पैरा संदर्भ सं.	विषय	पृ. सं.
क.	उद्देश्य	4
ख.	वर्गीकरण	4
ग.	पिछले दिशानिर्देशों का समेकन	4
घ.	प्रयोज्यता	4
1	भूमिका	6
2.	परिभाषा	6
3.	शाखा प्राधिकरण नीति	6
4.	आवेदन की प्रक्रिया	8
5.	प्राधिकरण की वैधता	9
6.	शाखाएं खोलना	10
7.	ऑफ साइट एटीएम स्थापित करना - सामान्य अनुमति	11
8.	केंद्रों का प्रतिस्थापन	11
9.	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस स्थापित करना	12
10.	कॉल सेंटर	12
11.	व्यावसायिक सुविधाप्रदाता/व्यावसायिक प्रतिनिधि मॉडल	12
12.	दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग	14
13.	शाखाओं का स्थान बदलना	15
13.1	सामान्य	15
13.2	केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) के भीतर स्थान बदलना	15
13.3	ग्रामीण शाखाएं	15
13.3.1	ब्लॉक के भीतर	15
13.3.2	ब्लॉक के बाहर	16
13.4	महानगरीय, शहरी एवं अर्ध शहरी शाखाएँ	16
13.5	शाखा का अंशतः स्थान परिवर्तन	16
14.	शाखाओं का परिवर्तन	17
14.1	विशेषीकृत शाखा का परिवर्तन	17

14.2	सामान्य बैंकिंग शाखाओं का किसी विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन	17
14.3.	विस्तार पटलों तथा अनुषंगी कार्यालयों का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन	17
14.4	ग्रामीण शाखा का अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तन	18
15.	शाखाओं का विलयन	18
15.1	सामान्य	18
15.2	एकमात्र ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा का विलयन	18
15.3	महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं का विलयन	19
16.	शाखाएं बंद करना	19
16.1	सामान्य	19
16.2	ग्रामीण शाखाएं बंद करना	19
16.3	महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी शाखाएं	20
17.	परिसरों का अभिग्रहण	20
18.	केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण	20
19.	भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना	21
20.	विदेशी बैंक	21
अनुबंध -1- फॉर्म VI - व्यवसाय का नया स्थान प्रारंभ करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र		23
अनुबंध -2- खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का संक्षिप्त विवरण		27
अनुबंध - 3- (क) अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों/अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में विद्यमान शाखाओं की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या		28
अनुबंध - 3 - (ख) अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों/अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में विद्यमान एटीएम की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या		30
अनुबंध - 3 - (ग) विद्यमान विस्तार पटलों की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या		31
अनुबंध - 3 - (घ) वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ प्रस्तुत की जानेवाली सूचना		32
अनुबंध - 4 - अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों की सूची		35
अनुबंध - 5 - जनसंख्या के आधार पर केंद्रों के टियर-वार वर्गीकरण का ब्यौरा		41
अनुबंध - 6 - अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची (2001 की जनगणना के आधार पर)		42

अनुबंध - 7 - शाखाओं के स्थान बदलने के प्रस्ताव	**46**
अनुबंध - 8 - शाखाओं के विलयन के प्रस्ताव	**47**
अनुबंध - 9 - शाखा बंद करने के प्रस्ताव	**48**
अनुबंध -10 - सामान्य अनुमति के अंतर्गत टियर 3 से टियर 6 तक के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	**49**
अनुबंध - 11- बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम के परिचालन के लिए रिपोर्टिंग का फॉर्मेट	**50**
अनुबंध - 12 - बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम परिचालनगत होने की शर्तें	**51**
अनुबंध - 13 - एटीएम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ	**52**
अनुबंध - 14 - प्रोफार्मा 1 तथा प्रोफार्मा II	**53 & 58**
परिशिष्ट - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	**77**

शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुरूप भारत में शाखाएँ खोलने /बंद करने /स्थान बदलने के लिए बैंकों द्वारा पालन करने के लिए नियम /विनियमन/क्रियाविधि का ढाँचा प्रदान करना।

ख. वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सांविधिक दिशानिर्देश।

ग. पिछले दिशानिर्देशों का समेकन

यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को अद्यतन करता है।

घ. <u>प्रयोज्यता</u>

स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

<u>संरचना</u>

1. भूमिका
2. परिभाषा
3. शाखा प्राधिकरण नीति
4. आवेदन की प्रक्रिया
5. प्राधिकरण की वैधता
6. शाखाएँ खोलना
7. ऑफ साइट एटीएम स्थापित करना - सामान्य अनुमति
8. केंद्रों का प्रतिस्थापन
9. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र / बैक ऑफिस की स्थापना
10. कॉल सेंटर
11. व्यावसायिक सुविधाप्रदाता /व्यावसायिक प्रतिनिधि मॉडल
12. दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग
13. शाखाओं का स्थान बदलना
14. शाखाओं का परिवर्तन
15. शाखाओं का विलयन
16. शाखाएँ बंद करना
17. परिसरों का अभिग्रहण
18. केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण
19. भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना
20. विदेशी बैंक

अनुबंध -1 - फॉर्म VI - व्यवसाय का नया स्थान प्रारंभ करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

अनुबंध - 2 - खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का संक्षिप्त विवरण

अनुबंध -3- अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों/अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में विद्यमान शाखाओं की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या

अनुबंध- 3 - अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों/अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों को छोड़कर
अन्य जिलों में विद्यमान एटीएम की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या

अनुबंध -3-(ग)- विद्यमान विस्तार पटलों की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या

अनुबंध-3 (घ)- - वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

अनुबंध - 4 - अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों की सूची

अनुबंध - 5 - जनसंख्या के आधार पर केंद्रों के टियर-वार वर्गीकरण का ब्यौरा

अनुबंध - 6 - अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची

अनुबंध - 7 - एक केंद्र से दूसरे केंद्र में शाखाओं के स्थान बदलने के प्रस्ताव

अनुबंध - 8 - शाखाओं के विलयन के प्रस्ताव

अनुबंध - 9 - शाखा बंद करने के प्रस्ताव

अनुबंध - 10 - सामान्य अनुमति के अंतर्गत टियर 3 से टियर 6 तक के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

अनुबंध - 11 - बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम के परिचालन के लिए रिपोर्टिंग का फॉर्मेट

अनुबंध - 12 - बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम परिचालनगत होने की शर्तें

अनुबंध - 13 - एटीएम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

अनुबंध - 14 - प्रोफार्मा 1 तथा प्रोफार्मा II

परिशिष्ट - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र

1. भूमिका

बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने और वर्तमान शाखाओं का स्थान बदलने का कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के उपबंधों से नियंत्रित होता है । इन उपबंधों के अनुसार बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में अथवा विदेश में कारोबार का नया स्थान नहीं खोल सकते हैं अथवा न ही कारोबार के मौजूदा स्थान को, उसी शहर, कस्बे या गांव को छोड़कर, अन्यत्र ले जा सकते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार यह निर्धारित है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अनुमति प्रदान करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षण करके अथवा अन्यथा बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, उसके प्रबंध तंत्र के सामान्य स्वरूप, उसके पूंजी-ढांचे की पर्याप्तता तथा अर्जन की संभावनाओं के संबंध में तथा इस बात से संतुष्ट होना होगा कि कारोबार का नया स्थान खोलना अथवा वर्तमान स्थान में परिवर्तन करना, जैसी स्थिति हो, जनहित में होगा। इस संबंध में स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए ।

नीचे दिये गये दिशानिर्देश भारत में स्थित शाखाओं के प्राधिकरण की नीति से संबंधित हैं ।

2. परिभाषा

शाखा प्राधिकरण नीति के प्रयोजन के लिए "शाखा" में ये शामिल होंगे : स्वयं पूर्ण शाखा, अनुषंगी (सेटलाइट) कार्यालय, विस्तार पटल, ऑफसाइट एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन), प्रशासनिक कार्यालय, नियंत्रक कार्यालय, सेवा शाखा (बैक ऑफिस या प्रसंस्करण केंद्र) तथा क्रेडिट कार्ड सेंटर। कॉल सेंटर को शाखा के रूप में नहीं माना जाएगा । कॉल सेंटर वह है जहां ग्राहक को टेली-बैंकिंग सुविधा के माध्यम से केवल खाते या उत्पाद की जानकारी दी जाती है और ऐसे केंद्रों के माध्यम से कोई बैंकिंग लेनदेन नहीं किया जाता । साथ ही, कॉल सेंटरों में ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क की अनुमति नहीं है ।

3. शाखा प्राधिकरण नीति

(i) शाखा प्राधिकरण नीति को उदारीकृत और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से शाखा प्राधिकरण नीति का एक ऐसा ढांचा स्थापित किया गया है जो बैंकों की मध्यावधि कार्पोरेट कार्यनीति तथा जनहित से सुसंगत होगा। बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, उसके प्रबंध तंत्र के सामान्य स्वरूप, उसके पूंजी-ढांचे की पर्याप्तता तथा अर्जन की संभावनाओं के अलावा शाखा प्राधिकरण नीति के ढांचे में नीचे दिये गये पैराग्राफों में उल्लिखित तत्व होंगे ।

(ii) जहां तक नीतिगत ढांचे के जनहित आयामों का संबंध है, प्राधिकरण संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा :

(क) बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर अधिक बल देगा कि बैंकों द्वारा आम जनता, विशेषकर अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों (ज़िलों) के सामान्य व्यक्तियों को दी गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप और व्याप्ति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण-प्रवाह, उत्पादों का मूल्यन तथा उचित नये उत्पाद प्रारंभ करने और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए समग्र प्रयासों की क्या स्थिति है ।

(ख) इस प्रकार के मूल्यांकन में सम्मिलित होंगी - न्यूनतम शेष राशि की ज़रूरतों संबंधी नीति तथा यह बात कि क्या जमाकर्ताओं को न्यूनतम बैंकिंग सुविधाएं या "बिना तड़क-भड़क" वाली (नो फ्रिल्स) बैंकिंग सुविधाएं मिल रहीं हैं, बुनियादी बैंकिंग गतिविधि के प्रति निष्ठा, जैसे - जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, जो कि *अन्य बातों के साथ-साथ* प्राप्त होनेवाली शिकायतों की संख्या और बैंक में उनके समाधान के लिए उपलब्ध तंत्र से प्रमाणित होगी ।

(ग) विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता के संवर्धन को प्रेरित करने की आवश्यकता ।

(घ) इस संबंध में विनियामक सुविधा भी प्रासंगिक होगी । इसके अंतर्गत शामिल हैं:

- न केवल विनियमन के आशय का अनुपालन बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या बैंक की गतिविधियां विनियमन के अभिप्राय और अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।
- बैंकिंग समूह के कार्यकलाप और बैंक की अपनी सहायक, संबद्ध तथा सहयोगी संस्थाओं के साथ स्थापित संबंध का स्वरूप ।
- कार्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता, उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ।

(iii) जहां तक क्रियाविधि संबंधी पहलुओं का संबंध है, प्रत्येक शाखा खोलने के लिए समय-समय पर प्राधिकार देने की प्रचलित प्रणाली के स्थान पर, एक परामर्शदायी और आपसी विचार-विमर्श वाली प्रणाली के माध्यम से समग्र रूप से वार्षिक आधार पर स्वीकृति देने की प्रणाली लागू की गई है। बैंकों की शाखा-विस्तार संबंधी कार्यनीति तथा मध्यावधि की योजनाओं पर रिज़र्व बैंक द्वारा अलग-अलग बैंकों से विचार-विमर्श किया जाएगा। मध्यावधि के ढांचे तथा

विशिष्ट प्रस्तावों में सभी श्रेणियों की शाखाओं को खोलना/बंद करना/एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, शाखाओं का विलयन तथा शाखाओं का परिवर्तन शामिल है।

(iv) नई शाखा प्राधिकरण नीति के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वे शाखाएं खोलने के "**लाइसेंस**" के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें ।

(v) देशीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 की आबादी तक - केंद्रों का टियर-वार वर्गीकरण अनुबंध 5 में दिया गया है) शाखाएं खोल सकते हैं तथा इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए । देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह भी अनुमति दी गयी है कि वे रिपोर्टिंग के अधीन पूर्वात्तर राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएं खोल सकते हैं और इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए ।

(vi) देशीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा टियर 1 और टियर 2 केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले केंद्र) में शाखाएं खोलने के लिए पहले की तरह भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा बनी रहेगी । केवल पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में आम अनुमति में अर्ध-शहरी और शहरी केंद्र भी शामिल होंगे ।

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों के आधार पर प्राधिकृत की गयी शाखाओं की संख्या अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगी, जिनमें एक यह अपेक्षा शामिल है कि बैंक अपने वार्षिक शाखा प्रसार की योजना इस तरह तैयार करें कि किसी वित्तीय वर्ष में टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या का कम-से-कम एक तिहाई अल्प-बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों (अनुबंध 6 के अनुसार) में हो । इन पहलुओं में वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, ग्राहक सेवा आदि में बैंक के कार्य निष्पादन का विवेचनात्मक मूल्यांकन भी शामिल है ।

(viii) ऊपर पैरा 3 (V) में दी गयी आम अनुमति संबंधित बैंक के संबंध में विनियामक/ पर्यवेक्षीय निश्चिंतता पर निर्भर करेगी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह विकल्प होगा कि वह सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए अभी दी जा रही आम अनुमति को मामला-दर-मामला आधार पर वापस ले ले ।

4. आवेदन की प्रक्रिया

4.1 मध्यावधि कार्यनीति तथा ऊपर पैरा 3 में दिए गए मुद्दों के आधार पर बैंकों को चाहिए कि वे वार्षिक आधार पर विनिर्दिष्ट केंद्रों में नयी शाखाएं, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है, खोलने के लिए विस्तृत प्रस्ताव बैंककारी विनियमन (कंपनी नियम), 1949 के नियम 12 के अनुसार निर्धारित फॉर्म VI में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। फार्म VI का प्रोफार्मा **अनुबंध -1** में संलग्न है। प्रस्तावित शाखाएँ खोलने का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध 2** में द्विभाषी फार्मेट में प्रोफार्मों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ-साथ **अनुबंध 3 (क, ख, ग और घ)** में मांगी गयी सूचना भी भेजी जाए। उक्त फार्म VI प्रशासनिक कार्यालय /नियंत्रक कार्यालय, क्रेडिट कार्ड केंद्र और बैक ऑफिस/ प्रसंस्करण केंद्र के संबंध में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

4.2 बैंक अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना वर्ष में किसी भी समय प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे वित्तीय वर्ष अथवा कैलेंडर वर्ष के साथ संबद्ध नहीं किया गया है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जहां रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है वहां वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शाखाएं खोलने, बंद करने, उनके स्थान बदलने, विलयन और परिवर्तन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव शामिल होने चाहिए। वार्षिक शाखा विस्तार योजना पर बैंक के साथ सामान्यतः इसके प्रस्तुत किये जाने से चार सप्ताह के भीतर चर्चा की जाएगी और उसके बाद अनुमोदन की सूचना दी जाएगी ।

4.3 **उपर्युक्त के बावजूद, बैंक किसी भी अत्यावश्यक प्रस्ताव के लिए, विशेषकर ग्रामीण/ अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों (ज़िलों) में शाखाएं खोलने के लिए वार्षिक योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों के अतिरिक्त वर्ष में किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं जिन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।**

4.4 वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीइपी) तथा इस संबंध में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले अन्य प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल से ऐसे या अन्य प्राधिकारी जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने शक्तियां प्रदान की हो, से अनुमोदित होना चाहिए ।

5. प्राधिकरण की वैधता

5.1 प्रदान किए गए प्राधिकरण की वैधता प्राधिकरण/अनुमति का समेकित पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक होगी ।

5.2 सामान्य तौर पर प्राधिकरण की वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी । तथापि यदि बैंक एक वर्ष की वैधता अवधि के भीतर किसी वास्तविक कारण से कोई विशिष्ट शाखा खोलने में असमर्थ है, वहां वह प्राधिकरण की वैधता समाप्त होने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के मामले में) से समय बढ़ाने, जो कि **एक वर्ष से अधिक नहीं** होगा, के लिए संपर्क कर सकता है ।

5.3 जिन केंद्रों पर बैंक प्राधिकरण अवधि अर्थात् एक वर्ष **(अथवा अतिरिक्त एक वर्ष की बढ़ायी गई अवधि, जैसी भी स्थिति हो)** के भीतर शाखा नहीं खोलता है तो प्रदान की गई अनुमति अपने आप रद्द हो जाएगी और यदि बैंक उस केंद्र पर फिर भी शाखा खोलना चाहता है तो उसे अगली वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल करना चाहिए ।

6. शाखाएं खोलना

6.1 उपर्युक्त पैरा 3(v) में किए गए उल्लेख के अनुसार देशीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) टियर 3 से टियर 6 केंद्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में भी प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना शाखाएं खोल सकते हैं लेकिन इनकी रिपोर्टिंग संलग्न प्रारूप **(अनुबंध 10)** के अनुसार की जानी चाहिए।

6.2 बैंक, जिन केंद्रों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति अपेक्षित नहीं है वहां शाखाएं खोलने के सभी प्रस्ताव वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल कर सकते हैं । **साथ ही, बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों और ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलें।** अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों में स्थित केंद्रों की पहचान करने में बैंकों को सुविधा हो, इसके लिए ऐसे ज़िलों की एक सूची **अनुबंध 4** में दी गई है । इसी प्रकार अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों के अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों की एक सूची **अनुबंध 6** में दी गई है ।

6.3 अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में बैंकिंग का एकसमान विस्तार सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में बैंकों द्वारा नयी शाखाएँ खोलने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा बशर्ते प्रस्तावित नयी शाखा का स्थान निम्नलिखित **न हो** :

(क) किसी राज्य की राजधानी, महानगरीय केंद्र या किसी ज़िला मुख्यालय की नगरपालिका सीमाओं के भीतर तथा

(ख) 4 प्रमुख महानगरीय केंद्रों (मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नै) से 100 कि.मी. के भीतर तथा किसी राज्य की राजधानी से 50 कि.मी. के भीतर ।

तथापि, उपर्युक्त (क) एवं (ख) के प्रतिबंध उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहाँ प्रस्तावित शाखा का स्थान जम्मू और कश्मीर राज्य अथवा उत्तर पूर्व के सात राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं **सिक्किम** राज्य में हो।

उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद रिज़र्व बैंक, बैंकों द्वारा उपर्युक्त (क) तथा (ख) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों में स्थित केंद्रों पर शाखाएँ खोलने के प्रस्तावों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करेगा, बशर्ते बैंक रिज़र्व

बैंक को संतुष्ट करने में सक्षम रहें कि प्रस्तावित शाखा का स्थान वास्तव में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाला है।

6.4 इसके अलावा, निजी क्षेत्र के नये बैंकों से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निरंतर आधार पर उनकी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं अर्ध-शहरी और ग्रामीण केंद्रों में हैं।

7. ऑफ साइट एटीएम स्थापित करना - सामान्य अनुमति

(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना उनके द्वारा निर्धारित केंद्रों /स्थानों पर ऑफ साइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तथापि, यह रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी निदेश के अधीन होगी जिसमें ऑफ साइट एटीएम बंद करना /स्थान परिवर्तित करना शामिल है। बैंकों को उपर्युक्त आम अनुमति के अंतर्गत खोले गए ऑफ साइट एटीएम के संबंध में पूर्ण ब्योरों की सूचना, एटीएम परिचालन आरंभ होने के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह में संलग्न फार्मेट **(अनुबंध -11)** के अनुसार बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा के ऑफ साइट एटीएम के मामले में) को भेजनी चाहिए। बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम परिचालित करने की शर्तों तथा एटीएम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सुविधाओं को इस परिपत्र के **अनुबंध 12** एवं **अनुबंध 13** में दिया गया है।

(ii) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सभी विद्यमान एटीएम/भविष्य के एटीएम में 'रैम्प' की सुविधा प्रदान करें ताकि व्हील चेयर उपयोगकर्ता/विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों को पहुँचने में आसानी हो तथा एटीएम की ऊँचाई भी इस प्रकार रखी जाए जिससे व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा न पैदा हो। बैंक अपनी शाखाओं के प्रवेश द्वार पर 'रैम्प' बनाने सहित उचित कदम उठाएं ताकि विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों /व्हील चेयर उपयोगकर्ता बैंक शाखाओं में प्रवेश कर बिना बड़ी कठिनाई के अपना कारोबार संपन्न कर सकें।

(iii) बैंकों को चाहिए कि वे अपने नए स्थापित एटीएम में से कम-से-कम एक तिहाई एटीएम को "ब्रेल की-पैड" के साथ बोलने वाले एटीएम बनाएं तथा अन्य बैंकों के साथ परामर्श करके इस प्रकार नीति बनाएं कि प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिहीन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोलने वाले एटीएम सहित एक ब्रेल की-पैड सामान्यतः तौर पर उपलब्ध कराया जा सके। बैंकों द्वारा ऐसे बोलने वाले एटीएम की अवस्थिति की जानकारी अपने दृष्टिहीन ग्राहकों के ध्यान में लायी जाए।

8. <u>केंद्रों का प्रतिस्थापन</u>

8.1 शाखा खोलने के लिए केंद्र/स्थान का अंतिम निर्णय करने से पहले बैंक वहां पर शाखा खोलने के लिए कारोबार की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए उचित आकलन करें। सामान्य तौर पर केंद्रों के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी । फिर भी अपवादात्मक मामलों में वास्तविक समस्या के कारण यदि बैंक प्रस्तावित केंद्र में शाखा खोलने में असमर्थ होता है तो बैंक प्रतिस्थापन के लिए कारणों सहित बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से वर्ष में एक बार संपर्क करें । बैंक नए केंद्र के संबंध में फार्म VI प्रस्तुत करें । ऐसे सभी अनुरोधों की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर की जाएगी ।

8.2 केंद्रों के प्रतिस्थापन की अनुमति उसी प्रकार के जनसंख्या समूह या कम जनसंख्या समूह के केंद्रों के लिए दी जाएगी बशर्ते बैंक जारी किए गए प्राधिकरण की वैधता अवधि के भीतर शाखा खोलने के लिए आश्वासन दें । इसके अलावा, अपर्याप्त बैंकिंग वाले ज़िलों के केंद्र से ऐसे केंद्र में जो अपर्याप्त बैंकिंग वाले ज़िले में नहीं आता है, प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

9. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस स्थापित करना

बैंक अन्य शाखाओं से प्राप्त अनुरोधों पर केवल आंकड़ा प्रसंस्करण, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रसंस्करण, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि जारी करना इत्यादि जैसे बैक ऑफिस कार्य तथा बैंकिंग कारोबार से जुड़े अन्य कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस भी स्थापित कर सकते हैं । ये केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस **ग्राहकों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखेंगे** । इन केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों/बैक ऑफिसों को सेवा शाखाएं कहा जाएगा तथा इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखाओं के रूप में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस स्थापित करने के प्रस्ताव भी वार्षिक शाखा विस्तार योजना में सम्मिलित किये जा सकते हैं ।

10. कॉल सेंटर

चूंकि कॉल सेंटर में कोई बैंकिंग लेनदेन नहीं किया जाता है, अतः पैरा 2 में परिभाषित किये अनुसार "कॉल सेंटर" की स्थापना के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है । फिर भी, कॉल सेंटरों को खोलने, बंद करने और उनका स्थान बदलने के ब्योरे पैरा 19 में बताये अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किये जाने चाहिए ।

11. व्यावसायिक सुविधाप्रदाता /व्यावसायिक प्रतिनिधि मॉडल

11.1 इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वृहत्तर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंकों को व्यावसायिक सुविधाप्रदाता/व्यावसायिक प्रतिनिधि मॉडल का उपयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थ की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है ।

"व्यावसायिक सुविधा प्रदाता" मॉडल के अंतर्गत बैंक निम्नलिखित मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं जैसे :

i) गैर-सरकारी संगठन/स्वयं सहायता समूह

ii) किसान क्लब

iii) सहकारी संस्थाएं

iv) सामुदायिक संगठन

v) कार्पोरेट संस्थाओं के सूचना प्रौद्योगिकी युक्त ग्रामीण केंद्र

vi) डाकघर

vii) बीमा एजेंट

viii) सुसंचालित पंचायत

ix) ग्रामीण ज्ञान केंद्र

x) कृषि क्लिनिक

xi) कृषि व्यवसाय केंद्र

xii) कृषि विज्ञान केंद्र

xiii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इकाइयां

इन मध्यवर्ती संस्थाओं का बैंकों द्वारा उपयोग सुविधा प्रदान करने में उनकी सहूलियत पर आधारित होगा। ऐसी सेवाओं में (i) उधारकर्ताओं की पहचान और कार्यकलापों का निर्धारण; (ii) प्राथमिक जानकारी/आंकड़ों के सत्यापन सहित ऋण आवेदन पत्रों का संग्रहण और प्रारंभिक प्रसंस्करण; (iii) बचत और अन्य उत्पादों तथा शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं धन प्रबंधन पर सलाह तथा ऋण संबंधी परामर्श देना; (iv) आवेदन पत्रों का प्रसंस्करण और बैंकों को प्रस्तुति; (v) स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त दायित्व समूहों का संवर्धन और विकास; (vi) मंजूरी के बाद निगरानी; (vii) स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त दायित्व समूहों/ऋण समूहों/अन्यों की निगरानी और सहायता करना तथा (viii) वसूली के लिए अनुवर्तन शामिल हो सकते हैं ।

11.2 "व्यवसाय प्रतिनिधि" मॉडल के अंतर्गत बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित की सेवाएं ले सकते हैं :

(i) सोसायटी/न्यास अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित एनजीओ/एमएफआई

(ii) राज्यों के पारस्परिक आधार पर सहायता प्राप्त सहकारी सोसायटियां अधिनियमों अथवा सहकारी सोसायटियां अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटियां

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां

(iv) सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी

(v) वैयक्तिक किराना/मेडिकल/उचित मूल्य के दुकान मालिक

(vi) वैयक्तिक पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) ऑपरेटर

(vii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों की छोटी बचत योजनाओं के एजेंट

(viii) पेट्रोल पम्प मालिक

(ix) सेवानिवृत्त अध्यापक

(x) बैंकों से संबद्ध सुचारु रूप से चलने वाले स्वयं सहायता समूहों के प्राधिकृत अधिकारी

(xi) कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले व्यक्तियों सहित कोई भी व्यक्ति

यदि बैंकों द्वारा विधिवत् नियुक्त किए गए व्यवसाय प्रतिनिधि बुनियादी (ग्रॉस-रूट) स्तर पर व्यवसाय प्रतिनिधि की सेवाएं प्रदान करने के लिए सब-एजेंट नियुक्त करना चाहते हैं तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि (i) व्यवसाय प्रतिनिधि के सब-एजेंट हमारे मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवसाय प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित सभी मानदंड पूरा करते हैं तथा (ii) मूल शाखा से दूरी संबंधी मानदंड का सभी सब-एजेंटों के मामले में अनिवार्यतः पालन किया जाता है ।

"व्यावसायिक सुविधा प्रदाता" मॉडल के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों में (i) छोटे मूल्य के ऋण का संवितरण, (ii) मूल धन की वसूली/ब्याज का संग्रहण, (iii) छोटे मूल्य की जमाराशियों का संग्रहण, (iv) व्यष्टि बीमा/पारस्परिक निधि उत्पादों/ पेंशन उत्पादों/अन्य तीसरे पक्षकार के उत्पादों की बिक्री तथा (v) छोटे मूल्य के विप्रेषणों/अन्य भुगतान लिखतों की प्राप्ति और वितरण शामिल होंगे । भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए उपर्युक्त सूचीबद्ध संस्थाओं का उपयोग करने के लिए एक योजना बनाने की अनुमति दी है ।

11.3 चूंकि बैंकों को व्यावसायिक सुविधाप्रदाता/व्यावसायिक प्रतिनिधि मॉडल का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का संपूर्ण उद्देश्य अल्प सुविधा प्राप्त तथा बैंकिंग सुविधा रहित जनता तक बचत और ऋण की सुविधाएं पहुंचाना है, अतः इन मॉडलों का उपयोग एनआरई/एनआरओ/एफसी एनआर (बी) जमा संग्रहणों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि सामान्यतः बड़े मूल्य के होते हैं ।

11.4 व्यावसायिक सुविधाप्रदाता/व्यावसायिक प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से खोले गए खातों सहित सभी बचत खाताधारकों (व्यक्तियों) को बैंकों को अनिवार्य रूप से पासबुक सुविधा प्रदान करनी चाहिए । यदि बैंक खाता विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है तथा ग्राहक खाता विवरण प्राप्त करना चाहता है तो बैंक को मासिक विवरण जारी करना चाहिए ।

11.5 व्यवसायिक प्रतिनिधि मॉडल की व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों (न कि व्यावसायिक प्रतिनिधियों को) को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से ग्राहकों से औचित्यपूर्ण सेवा प्रभार संग्रहित करने की अनुमति दी गयी है ।

11.6 इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की प्रतिलिपि हमें (प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) को भेजी जाए ।

11.7 बैंकों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों से प्रभारों के अपारदर्शी/ अनौचित्यपूर्ण होने के बारे में कोई शिकायत न मिले । इस संबंध में बैंकों द्वारा अपनायी गई किसी भी अनुचित प्रथा को भारतीय रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा ।

11.8 जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, यदि किसी बैंक द्वारा समुचित छानबीन के बाद ऐसे स्थानीय संगठन/संघ को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध किसी भी प्रकार के संगठन के अंतर्गत नहीं आता है, तथा जिसे डीसीसी व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में अनुमोदित करने के लिए सिफारिश करती है तो रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे संगठन/संघ को बीसी के रूप में नियुक्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से समुचित छूट प्रदान करने पर विचार करेगा ।

11.9 ग्रामीण अर्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्रों में बीसी के परिचालन के लिए अधिकतम दूरी से संबंधित मानदंड (व्यवसाय प्रतिनिधि के कारोबार के स्थान और आधार शाखा के बीच दूरी) 30 कि. मी. तथा महानगरीय क्षेत्रों में 5 कि. मी. है । तथापि, यदि दूरी से संबंधित मानदंड को शिथिल करने की ज़रूरत महसूस की जाती है तो ऐसे मामले को अनुमोदन के लिए संबंधित जिले के डीसीसी के पास भेजा जा सकता है । यदि दूरी संबंधी मानदंड में शिथिलता के ऐसे मामलों की परिधि में सहबद्ध जिले भी आते हों तो उसका निपटान एसएलबीसी द्वारा किया जाएगा जो महानगरीय क्षेत्रों के लिए भी संबंधित मंच होगा ।

12. दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने निदेशक मंडलों की अनुमति से अपने ग्राहकों को (जिसमें व्यक्तिगत, कंपनी, सरकारी उपक्रम, सरकारी विभाग आदि शामिल हैं) डोर- स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं देने के लिए योजनाएं बनाने की अनुमति दी गई है ।

13. शाखाओं का स्थान बदलना

13.1 सामान्य

(क) शाखाओं का स्थान बदलना, शाखा विस्तार की मध्यावधि कार्पोरेट कार्य नीति का एक हिस्सा होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की अपेक्षा करनेवाले प्रस्तावों को वार्षिक शाखा विस्तार योजना में **अनुबंध 7** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए ।

(ख) तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस शाखा का स्थान बदला जा रहा है उसके ग्राहकों को शाखा का वास्तव में स्थान बदलने के पर्याप्त समय पहले सूचित किया जाता है ताकि असुविधा से बचा जा सके ।

(ग) स्थान बदलने के ब्योरे (अर्थात् नया पता, स्थान बदलने की तारीख आदि) शाखा का स्थान बदलने के तुरंत बाद, और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को अवश्य रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में लाइसेंस में किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं होगा ।

(घ) शाखाओं का स्थान बदलने के संबंध में निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों का भी पालन किया जाना चाहिए:

(i) नया केंद्र भी वर्तमान केंद्र जितना अथवा उससे कम जनसंख्या समूह का हो, जैसे किसी ग्रामीण केंद्र में स्थित शाखा का स्थान किसी अन्य ग्रामीण केंद्र में ही बदला जा सकता है; और

(ii) अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले में स्थित शाखा का स्थान किसी अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले में स्थित अन्य केंद्र में ही बदला जा सकता है ।

13.2 केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) के भीतर स्थान बदलना

रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना केंद्र (शहर/कस्बे/गांव) के भीतर किसी भी स्थान पर शाखा को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता बैंकों को प्रदान की गई है । इस स्थिति के होते हुए, इन मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं करना चाहिए ।

13.3 ग्रामीण शाखाएं

13.3.1 ब्लॉक के भीतर

नीतिगत आधार पर एकमात्र ग्रामीण शाखा को केंद्र/गांव से बाहर स्थान बदलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उससे केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा। तथापि अप्रत्याशित/अपवादात्मक परिस्थितियों (प्राकृतिक आपदाएं, कानून और व्यवस्था की विपरीत स्थिति आदि) के कारण यदि बैंक किसी एकमात्र ग्रामीण शाखा का केंद्र से बाहर स्थान परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, तब डीसीसी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए और प्रस्ताव को हमारे विचारार्थ वार्षिक योजना में शामिल किया जाना चाहिए ।

तथापि, रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना बैंक ऐसे केंद्रों से अपनी ग्रामीण शाखाओं का स्थान ब्लॉक के भीतर बदल सकते हैं जहां किसी वाणिज्य बैंक की एक से अधिक शाखाएं हैं । किंतु ग्रामीण शाखाओं का स्थान बदलने पर विचार करते समय बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अधीन इन शाखाओं को सौंपी गयी भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए ।

13.3.2 ब्लॉक के बाहर

ऐसे केंद्रों में **जहां एक से अधिक वाणिज्य बैंक शाखाएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा को छोड़कर)** हैं, वहां ब्लॉक के बाहर शाखाओं का स्थान बदलने के अनुरोधों को वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल किया जाना चाहिए तथा ऐसे अनुरोधों पर निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा :

(i) जिन शाखाओं का स्थान बदला जा रहा है वे 5 वर्ष या उससे अधिक से अस्तित्व में हों और पिछले 3 वर्षों से लगातार उन्हें हानि हो रही हो ;

(ii) ऐसे केंद्रों में स्थित शाखाएं जो कुछ प्राकृतिक जोखिमों को झेल रहे हों, जैसे जो बाढ़ प्रवण हों, लैंडस्लाइड होती हो या बांध के निर्माण के कारण डूबनेवाले हों या प्राकृतिक आपदाओं आदि से प्रभावित हों;

(iii) ऐसे स्थानों पर कार्य कर रही शाखाएं जहां कानून और व्यवस्था की समस्याएं हों या जहां आतंकवादी गतिविधियों के कारण बैंक कार्मिकों और संपत्ति को नुकसान का खतरा हो;

(iv) ऐसी शाखाएं जहां बैंक द्वारा उपयोग में लाया जा रहा परिसर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हो या जला हुआ हो/ध्वस्त हो और उस केंद्र में कोई उपयुक्त परिसर उपलब्ध न हो आदि ।

13.4 महानगरीय, शहरी एवं अर्ध शहरी केंद्र

(क) बैंक महानगरीय/शहरी/अर्ध शहरी केंद्रों में केंद्र की म्युनिसिपल राजस्व सीमा अर्थात् शहर/कस्बे के भीतर रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने विवेकानुसार अपनी शाखाओं का स्थान बदल सकते हैं।

(ख) बैंक उसी राज्य में (एकमात्र अर्ध-शहरी शाखाओं को छोड़कर, क्योंकि उनका स्थान बदलने से अर्ध-शहरी केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा) महानगरीय, शहरी एवं अर्ध शहरी केंद्रों में अपनी शाखाओं का स्थान भी उपर्युक्त पैरा 13. 1 (घ) - (i) एवं (ii) में बताए अनुसार न्यूनतम मानदंडों के अधीन बदल सकते हैं ।

अतः इन मामलों को वार्षिक शाखा विस्तार में हमारे अनुमोदन के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

13.5 शाखा का अंशतः स्थान परिवर्तन

बैंकों को अपनी शाखाओं के अंशतः स्थान परिवर्तन /कुछ कार्यकलापों के स्थान परिवर्तन के अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, अंतरदेशीय बैंकों के लिए शाखा प्राधिकरण प्रभाग और विदेशी बैंकों के लिए अंतराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग) से संपर्क करना होगा। शाखाओं का अंशतः स्थान परिवर्तन रिज़र्व बैंक द्वारा मामला-दर मामला आधार पर निम्नलिखित मानदंडों के अधीन किया जाएगा :

(i) शाखा खोलने के तीन वर्षों के भीतर किसी भी अंशतः स्थान परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक बैंक को हर महानगरीय केंद्र /राज्य की राजधानी में केवल एक शाखा के अंशतः स्थान परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी ।

(iii) अंशतः स्थान परिवर्तन का नया स्थान विद्यमान स्थान से 250 मीटर के दायरे में होना चाहिए।

(iv) एक शाखा के लिए सिर्फ एक अंशतः स्थान परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। एक बार शाखा को अंशतः स्थान-परिवर्तन की अनुमति मिलने पर, नए स्थान और विद्यमान स्थान दोनों ही अंशतः स्थान-परिवर्तन के पात्र नहीं रह जाएंगे।

(v) अंशतः स्थान परिवर्तन की पात्रता के लिए नए स्थान का क्षेत्रफल विद्यमान स्थान के क्षेत्रफल से अधिक नहीं होना चाहिए।

(vi) दोनों परिसरों से एक ही कार्यकलाप नहीं किया जा सकेगा।

14. शाखाओं का परिवर्तन

14.1 विशेषीकृत शाखा का परिवर्तन

बैंक अपनी विशेषीकृत शाखा को किसी अन्य श्रेणी की विशेषीकृत शाखा या सामान्य बैंकिंग शाखा के रूप में अपने विवेकानुसार परिवर्तन कर सकते हैं । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के पश्चात् उसका ब्योरा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि, केंका (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को तुरंत और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर सूचित किया जाता है। लाइसेंस/प्राधिकरण में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

14.2 सामान्य बैंकिंग शाखाओं का किसी भी प्रकार की विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन

बैंक अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को किसी भी प्रकार की विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते बैंक ऐसे सामान्य बैंकिंग शाखाओं के मौजूदा ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हैं जिन्हें विशेषीकृत शाखाओं के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है । ऐसे प्रस्ताव हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किए जाने चाहिए । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के पश्चात् उसका ब्योरा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि, केंका (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को तुरंत और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर सूचित किया जाता है। लाइसेंस/प्राधिकरण में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी ।

14.3 विस्तार पटलों तथा अनुषंगी कार्यालयों का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन

(i) बैंक अपने विवेकानुसार अपने वर्तमान विस्तार पटलों तथा अनुषंगी कार्यालयों (एसओ) को पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित करने तथा उसी केंद्र के अंतर्गत पुनः स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि बैंकों को चाहिए कि वे विस्तार पटल /अनुषंगी कार्यालय को पूर्ण शाखा में परिवर्तित करने के पहले विस्तार पटल /अनुषंगी कार्यालय का लाइसेंस जमा कर (यदि अलग लाइसेंस जारी किया गया हो तो)पूर्ण शाखा के लिए अनुमति पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केका (महाराष्ट्र और गोवा में स्थित विस्तार पटल/अनुषंगी कार्यालय के लिए) से प्राप्त करें। ऐसे मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) ऐसे मामलों में जहाँ बैंक अपने विद्यमान विस्तार पटलों तथा अनुषंगी कार्यालयों का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन कर उनका अन्य केंद्र में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, वहाँ ऐसे प्रस्तावों को रिज़र्व बैंक (बैं.प.वि.वि., के.का.) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

14.4 ग्रामीण शाखा का अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तन

सामान्यतः ग्रामीण शाखा का अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, अपवादात्मक मामलों में, ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) से अनुमोदन प्राप्त कर ग्रामीण शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तन करने के प्रस्तावों को वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ हमारे विचार हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

15. शाखाओं का विलयन

15.1 सामान्य

(क) बैंकों को चाहिए कि जिस शाखा का विलयन (अंतरणकर्ता शाखा) किया जाए, उसके ग्राहकों को वास्तविक विलयन से पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया जाए ताकि उन्हें होनेवाली असुविधा से बचा जा सके ।

(ख) विलयन के ब्योरे (विलयन की तारीख आदि) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को शाखा के विलयन के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।

(ग) विलयन के बाद विलयित की गयी शाखा (अंतरणकर्ता शाखा) का लाइसेंस (यदि अलग लाइसेंस जारी किया गया हो तो) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) में निरस्त करने के लिए जमा कर दिया जाना चाहिए ।

जहां एक समेकित प्राधिकरण एक से अधिक शाखाओं के लिए जारी किया गया हो वहां यह पर्याप्त होगा यदि बैंक किसी विशेष शाखा (संबंधित शाखा को जारी किए गए प्राधिकरण पत्र के अनुबंध के क्रमांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हो) के विलयन की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को दे।

15.2 एकमात्र ग्रामीण /अर्ध शहरी शाखा का विलयन

नीतिगत आधार पर एकमात्र ग्रामीण शाखा/अर्ध शहरी शाखा के विलयन की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसी शाखा का उस केंद्र से बाहर स्थित शाखा के साथ विलयन करने से उक्त केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा । तथापि अपवादात्मक/अप्रत्याशित परिस्थितियों (प्राकृतिक आपेक्ष, कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थिति) में यदि बैंक किसी एकमात्र ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा का विलयन करने के लिए विवश हो जाए तो ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए और प्रस्ताव वार्षिक योजना में हमारे विचारार्थ शामिल किया जाना चाहिए । ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए ऐसे प्रस्तावों का ब्योरा **अनुबंध -8** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार हमारे अनुमोदन के लिए हमें प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

15.3 महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं का विलयन

बैंक रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किये बिना महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित किसी एक शाखा का विलयन किसी अन्य शाखा (जिसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई हो) के साथ कर सकते हैं । अतः ऐसे मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

16. शाखाएं बंद करना

16.1 सामान्य

(क) बैंकों को चाहिए कि जिस शाखा को बंद किया जाना है उसके ग्राहकों को शाखा बंद होने की वास्तविक तारीख से पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया जाए ताकि उन्हें होनेवाली असुविधा से बचा जा सके ।

(ख) शाखा बंद करने के ब्योरे (अर्थात् तारीख आदि) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को शाखा बंद होने के दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।

(ग) शाखा बंद होने के बाद, शाखा का लाइसेंस /प्राधिकरण (यदि एकल शाखा के लिए अलग से लाइसेंस/प्राधिकरण जारी किया गया हो तो) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को निरस्त

करने के लिए जमा किया जाना चाहिए। जहां एक समेकित प्राधिकरण एक से अधिक शाखाओं के लिए जारी किया गया हो वहां यह पर्याप्त होगा यदि बैंक किसी विशेष शाखा **(संबंधित शाखा को जारी किए गए प्राधिकरण पत्र के अनुबंध के क्रमांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हो)** के बंद करने की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को दे ।

16.2 ग्रामीण शाखाएं बंद करना

नीतिगत आधार पर एक मात्र वाणिज्य बैंक शाखा वाले (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ग्रामीण केंद्रों में हानि उठानेवाली शाखाओं को भी बंद करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे वह केंद्र बैंकिंग सुविधा रहित हो जाएगा। जिस स्थान पर एक वाणिज्य बैंक शाखा से अधिक शाखाओं द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है वहां शाखा को बंद करने का प्रस्ताव ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल किया जाना चाहिए। यह अपेक्षित है कि ऐसे प्रस्तावों का ब्योरा **अनुबंध 9** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार हमारे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

16.3 महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी शाखाएं

बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी केंद्र में किसी भी शाखा को (जिसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई हो), बंद करने की अनुमति है । अतः ऐसे प्रस्तावों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं करना चाहिए ।

17. परिसरों का अधिग्रहण - शाखाएँ खोलना

(i) बैंकों को अपने उपयोग के लिए (अर्थात् कार्यालय और स्टाफ के आवास के लिए) लीज़/किराया आधार पर मकान अधिग्रहीत करने, परिसर भाड़े पर लेने, परिसर स्वामियों को किराया जमा/अग्रिम देनें, की सभी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

(ii) शाखाएं खोलने के लिए परिसर अधिगृहीत करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा के स्थान के संबंध में नगर निगम/नगरपालिका/शहरी क्षेत्र प्राधिकरी/ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के स्थानीय मानदंडों/कानूनों का पालन किया जाता है ।

(iii) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी ऐसी शाखाओं/कार्यालयों की सूची जो ऐसे परिसरों से परिचालित हो रहे हैं जिनका विवाद भू-स्वामियों के साथ लंबित है, तिमाही आधार पर रिपोर्ट से संबंधित तिमाही के समाप्त होने के एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (अर्थात् लंबित विवाद वाली शाखा/कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस क्षेत्रीय निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कार्यरत हो) को प्रेषित करें।

महाराष्ट्र/गोवा में स्थित शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में सूचना क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 को प्रस्तुत की जाएगी ।

18. केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण

(i) किसी केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) का सही वर्गीकरण जैसे, ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी या महानगरीय के रूप में करने के प्रयोजन के लिए बैंक को चाहिए कि राजस्व केंद्र के सही नाम का उल्लेख करे और केवल इलाके का उल्लेख न करे। इस प्रयोजन के लिए वर्गीकरण, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तहसीलदार/ नगरपालिका या नगर निगम के कार्यालय/ज़िलाधीश या ज़िला जनगणना प्राधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है । इसके अलावा बैंक अपनी वार्षिक योजना प्रस्तावों के साथ बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करने से पहले केंद्र के जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण के संबंध में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 से भी पता कर सकते हैं ।

(ii) कस्बों/गांवों/क्षेत्रों के समामेलन के कारण जिलों के बीच गांवों/केंद्रों के आबंटन/पुनर्गठन के फलस्वरूप किसी केंद्र की जनसंख्या श्रेणी में किसी परिवर्तन की स्थिति में बैंकों के प्रधान कार्यालय/ कारपोरेट कार्यालयों के केंद्रों/स्थान/जिला आदि के परिवर्तनों/पुनर्वर्गीकरण के संबंध में राज्य सरकार/नगर निगम/नगरपालिका शहरी क्षेत्र प्राधिकारी/ग्राम पंचायत अथवा परिवर्तनों का साक्ष्य देने वाले अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सभी संबंधित दस्तावेजों (राजपत्र अधिसूचना सहित) के साथ सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 से संपर्क करें ।

19. भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना

(क) क्षेत्रीय कार्यालयों/बैंपविवि., केंका. को सूचना देना

बैंकों को चाहिए कि वे किसी नये स्थान पर कारोबार खोलने, उसे बंद करने, विलयन करने, कारोबार के किसी वर्तमान स्थान की जगह बदलने या परिवर्तन के ब्योरे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत और किसी भी हालत में शाखा खोलने /बंद करने /विलयन / स्थान बदलने आदि के दो सप्ताह के भीतर सूचित करें, जबकि महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में इसकी सूचना बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जानी चाहिए ।

बैंकों द्वारा कॉल सेंटरों को खोलने, बंद करने और स्थान बदलने के ब्योरे भी भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. कें.का. (महाराष्ट्र और गोवा के कॉल सेंटरों के संबंध में) को सूचित किये जाने चाहिए ।

(ख) शाखा बैंकिंग सांख्यिकी

बैंकों को चाहिए कि वे हर तिमाही के बाद चौदह दिन के भीतर शाखाओं को खोलने, बंद करने, स्थान बदलने, विलय करने और परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रोफार्मा I और II में (**अनुबंध 14)** सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग) तथा रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. कें.का. को प्रस्तुत करें । इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) शाखाओं के संबंध में सूचना निरंतर आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए । सूचना देने के लिए कुछ न होने की स्थिति में 'कुछ नहीं' विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

20. विदेशी बैंक

पैराग्राफ 3(v) के द्वारा देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मंजूर की गई सामान्य अनुमति विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होगी । शाखा प्राधिकरण नीति (इस परिपत्र के 3(v) को छोड़कर पैराग्राफ 3) विदेशी बैंकों पर भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी :

- विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे भारत में पहली शाखा खोलने के समय 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नियत पूंजी लायें ।
- केवल एक शाखा वाले वर्तमान विदेशी बैंकों को दूसरी शाखा खोलने के अनुरोध पर विचार करने से पहले उपर्युक्त अपेक्षा का पालन करना होगा ।
- विदेशी बैंकों को अपनी शाखा विस्तार योजना वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी ।
- भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित मापदंडों के अलावा विदेशी बैंकों के लिए निम्नलिखित पर भी विचार किया जाएगा ;
    - विदेशी बैंक के और उसके समूह के वैश्विक बाज़ारों में अनुपालन और कार्य प्रणाली के पिछले रिकार्ड पर विचार किया जाएगा । जहां कहीं ज़रूरी होगा वहां उनके देश के पर्यवेक्षकों से सूचना मांगी जाएगी।
    - भारत में उपस्थिति वाले विदेशी बैंकों के अपने देशों में समान वितरण को महत्व दिया जाएगा ।
    - आवेदक विदेशी बैंक के अपने देश में भारतीय बैंकों के प्रति किये जानेवाले व्यवहार पर विचार किया जाएगा ।
    - भारत और उनके अपने देश के बीच द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों पर पर्याप्त विचार किया जाएगा ।

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी बैंकों के शाखा विस्तार पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार की गणना के लिए शाखाओं की संख्या में एटीएम को शामिल नहीं किया जाएगा ।

तदनुसार, विदेशी बैंकों को बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, **केंद्रीय कार्यालय भवन (12वीं मंज़िल), शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001** को अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत करनी चाहिए ।

अनुबंध 1

(फॉर्म VI – नए स्थान पर कारोबार खोलने के लिए अनुमति के आवेदन पत्र का फार्म)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत कारोबार का नया स्थान खोलने अथवा कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने (उसी शहर, कस्बे या गाँव को छोड़कर अन्य स्थान पर) की अनुमति के लिए आवेदन पत्र - बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949, नियम 12 फार्म VI

पता .....
दिनांक .....

.....
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
.....

महोदय

हम इसके द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार * कारोबार का नया स्थान खोलने /कारोबार के .....स्थित वर्तमान स्थान को .....से बदलकर .....करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं । हम आवश्यक सूचना इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट फार्म में नीचे दे रहे हैं ।

भवदीय

हस्ताक्षर .....

1. बैंकिंग कंपनी का नाम :

2. प्रस्तावित कार्यालय :
(निम्नलिखित जानकारी दें)

(क) शहर / कस्बे/ गांव का नाम
(यदि स्थान के एक से अधिक नाम हों, तो संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए)

(ख) मुहल्ले /स्थान का नाम

(ग) (i) प्रखंड (ब्लॉक) :

(ii) तहसील/तालुका :

(iii) ज़िला

:

(iv) राज्य का नाम

:

(घ) प्रस्तावित कार्यालय का स्तर (स्टेटस) :

(ङ) प्रस्तावित कार्यालय तथा वाणिज्य बैंक के निकटतम वर्तमान कार्यालय के बीच की दूरी, बैंक एवं केन्द्र /मुहल्ले के नाम सहित :

@(च) 5 कि. मी. के घेरे में कार्यरत वाणिज्य बैंकों के नाम और उनके कार्यालयों की संख्या, उन केंद्रों के नाम के साथ जिनमें वे कार्यरत हों :

3. पिछला आवेदन :
(यदि प्रस्तावित कारोबारी स्थान के संबंध में रिज़र्व बैंक को पहले कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसके ब्यौरे दें)

4. प्रस्तावित कार्यालय खोलने के लिए कारण : (प्रस्तावित कार्यालय के लिए ब्यौरेवार कारण बतायें तथा निम्नानुसार सांख्यिकी एवं अन्य आंकड़े प्रस्तुत करें, जिनका संकलन प्रस्तावित कार्यालय के लिए किया गया हो)

(i) स्थान की जनसंख्या

:

@(ii) प्रस्तावित कार्यालय के कमान क्षेत्र (अर्थात् परिचालन के क्षेत्र) के विवरण :

(क) कमान क्षेत्र की अनुमानित त्रिज्या (

(ख) जनसंख्या :

(ग) कमान क्षेत्र में गांवों की संख्या :

(iii)निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तावित कार्यालय के परिचालन क्षेत्र में कृषि खनिज और औद्योगिक उत्पादन की तथा आयातों और निर्यातों की मात्रा

और मूल्य :

पण्य का नाम	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

((iv) यदि कृषि खनिज अथवा औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं हों तो उनके ब्यौरे दें तथा वर्तमान उत्पादन, आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य पर उनके संभावित प्रभावों का उल्लेख करें :

(v) यदि मौजूदा बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त समझी जायें, तो उसके कारण बतायें :

(vi) संभावनाएं : प्रस्तावित कारोबार के स्थान में 12 महीने के भीतर बैंकिंग कंपनी द्वारा किये जानेवाले न्यूनतम कारोबार की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार दर्शाएं :

(क) जमाराशियां : राशि हजार रुपयों में

(ख) अग्रिम : राशि हजार रुपयों में

5. वर्तमान कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन (उस कार्यालय की सही स्थिति बताएं, जिसे बंद करने का प्रस्ताव है तथा मद 2, 3 और 4 के अनुसार नये स्थान के ब्यौरे देते हुए उस स्थान की सही स्थिति बताएं जहां इस कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है)

6. व्यय :

(प्रस्तावित कार्यालय के संबंध में स्टाफ, परिसर, फर्नीचर, स्टेशनरी, विज्ञापन आदि पर पहले किये जा चुके अथवा प्रस्तावित व्यय की मात्रा । साथ ही, यह भी उल्लेख

करें कि 12 महीनों में प्रस्तावित कार्यालय में बैंकिंग कंपनी को न्यूनतम कितनी आय होने की आशा है)

अनुमानित वार्षिक आय :

क) अग्रिमों पर ब्याज	रु	
ख) कमीशन	रु	
ग) विनिमय	रु	
घ) प्रधान कार्यालय को दी गयी उधार निधियों पर ब्याज	रु	
कुल	रु	
अनुमानित लाभ	रु	

* अनुमानित वार्षिक व्यय

क) स्थापना प्रभार	रु	
ख) स्टेशनरी और विविध	रु	
ग) किराया और भवन	रु	
घ) जमाराशियों पर अदा किया जानेवाला व्यय	रु	
ङ) प्रधान कार्यालय से उधार ली गयी रु . . . . . की निधियों पर ब्याज @.....%	रु	
जोड़	रु	

7. अन्य विवरण :

(कोई अन्य अतिरिक्त तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी अपने आवेदन के समर्थन में बताना चाहे)

* जो भाग लागू न हो उसे काट दें ।

@ यह जानकारी उन्हीं केंद्रों के आवेदन के मामले में प्रस्तुत की जानी है जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो ।

नोट : 1. 'कार्यालय' और 'कार्यालयों' शब्द इस फार्म में जहां कहीं भी आ रहे हैं, उनमें कारोबार का/के वह/वे स्थान शामिल है/हैं जहां जमाराशि स्वीकार की जाती है, चेकों को भुनाया जाता है, धन उधार दिया जाता है या उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में उल्लिखित कारोबार किसी अन्य रूप में किया जाता है ।

2. यदि आवेदन कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने के लिए है तो मद (5) का उत्तर दिया जाना चाहिए ।

3. यदि कोई बैंकिंग कंपनी किसी मद के संदर्भ में पूरे ब्यौरे देने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो इस छूट के कारण दिये जायें ।

4. मद (2), (3), (4), (5) और (6) में पूछी गयी जानकारी उस स्थिति में प्रत्येक कार्यालय के बारे में अलग-अलग दी जाये जहां जहां आवेदन एक से अधिक कार्यालय खोलने या स्थान परिवर्तन के लिए हो ।

5. 'प्रशासनिक कार्यालय' के स्थान के परिवर्तन के मामले में जहां किसी बैंकिंग कारोबार का लेनदेन नहीं किया जाता है या किया जाना प्रस्तावित नहीं है (जैसे 'पंजीकृत कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय') वहां पत्र के रूप में केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें परिवर्तन के लिए कारणों का उल्लेख किया गया हो ।

अनुबंध 2

खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का संक्षिप्त विवरण

बैंक का नामः

(i)टियर 1 तथा टियर 2 केंद्रों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाएँ जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है

क्षेत्र/जिला	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
कम बैंकिंग सुविधाओं वाले				
अन्य				
कुल				

(ii)) सामान्य अनुमति के अंतर्गत खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाएँ

01 दिसंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी.65/22.01.001/2009-10 के अनुसार बैंक

टियर 3 से टियर 6 तक के केंद्रों (जनसंख्या49,999 तक) में -- शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव कर सकते हैं

जिसे निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है:

क्षेत्र/जिला	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	कुल
कम बैंकिंग सुविधाओं वाले				
अन्य				
कुल				

(iii) टियर 3 से टियर 6 तक के केंद्रों में स्थित कम बैंकिंग सुविधाओं वाले राज्यों के कम बैंकिंग सुविधाओं वाले जिलों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाएँ

उपर्युक्त (ii) के अंतर्गत प्रस्तावित -- शाखाओं में से -- शाखाएँ कम बैंकिंग सुविधाओं वाले राज्यों के कम बैंकिंग सुविधाओं वाले जिलों में निम्नानुसार खोले जाने के लिए प्रस्तावित:

क्षेत्र/जिला	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	कुल

* केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) का नाम (जैसे - मुंबई, बेंगलूर, नासिक) दिया जाना चाहिए, इलाके का नहीं। यदि एक केंद्र में एक से अधिक शाखाएं प्रस्तावित हैं, तो इलाके का उल्लेख किया जाए, जैसे - मुंबई-फोर्ट, मुंबई-बांद्रा आदि।

नोटः यह अपेक्षित है कि शाखाओं का यह संक्षिप्त विवरण द्विभाषिक फार्मेट (हिंदी और अंग्रेजी) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध 3(क)

बैंक का नाम :

(i) 'अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले' ज़िलों में <u>विद्यमान शाखाओं</u> की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

(------ ---------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या					कुल शाखाओं में से ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(ii) 'अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले, ज़िलों को छोड़कर अन्य' ज़िलों में <u>विद्यमान शाखाओं</u> की राज्य-वार, जनसंख्या-वार संख्या

(---------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या					कुल शाखाओं में से ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

..... क्रमशः

(iii) <u>बैंक की विद्यमान जनसंख्या श्रेणी-वार शाखाएं</u>

(अखिल भारतीय सार स्थिति)

(---------- को स्थिति)

ग्रामीण		**अर्ध-शहरी**		**शहरी**		**महानगरीय**		**कुल**
शाखाओं	**कुल में**	**शाखाओं**	**कुल में**	**शाखाओं**	**कुल में**	**शाखाओं**	**कुल में**	**शाखाओं**

की संख्या	से प्रतिशत	की संख्या	से प्रतिशत	की संख्या	से प्रतिशत	की संख्या	से प्रतिशत	की संख्या
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले :								
अपर्याप्त बैंकिंग वालों को छोड़कर अन्य ज़िले :								
कुल जोड़ :								

अनुबंध 3 (ख)

बैंक का नाम :

(i) विद्यमान एटीएम की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या'
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले' ज़िले

(---------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	ऑन-साइट एटीएम की संख्या					ऑफ-साइट एटीएम की संख्या					
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	कु

(ii) विद्यमान एटीएम की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या
'अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों को छोड़कर अन्य' ज़िले

(---------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	ऑन-साइट एटीएम की संख्या					ऑफ-साइट एटीएम की संख्या				
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल

(iii) <u>बैंक के विद्यमान ऑफ-साइट एटीएम की संख्या :</u>

(अखिल भारतीय सार स्थिति)

(- - - - - - - - को स्थिति)

ग्रामीण		**अर्ध-शहरी**		**शहरी**		**महानगरीय**		**कुल**
एटीएम की संख्या	**कुल में से प्रतिशत**	**एटीएम की संख्या**	**कुल में से प्रतिशत**	**एटीएम की संख्या**	**कुल में से प्रतिशत**	**एटीएम की संख्या**	**कुल में से प्रतिशत**	**एटीएम की संख्या**
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले :								
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों को छोड़कर अन्य ज़िले								
कुल जोड़ :								

अनुबंध 3 (ग)

बैंक का नाम :

(i) विद्यमान एक्सटेंशन काउंटरों की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

(---------- को स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	विद्यमान एक्सटेंशन काउंटरों की संख्या					
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	टिप्पणी

(ii) वर्ष के दौरान पूर्ण शाखाओं के रूप में उन्नयन किए गए विस्तार पटलों की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

(---------- को स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण शाखाओं के रूप में उन्नयन किए गए विस्तार पटलों की संख्या					
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	टिप्पणी

अनुबंध 3(घ)

बैंक का नाम :

<u>वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ प्रस्तुत की जानेवाली सूचना</u>

1) बैंक के शाखा विस्तार कार्यक्रम हेतु मध्यावधि नीतिः

बैंक टियर 1 तथा टियर 2 केंद्रों में और टियर 3 से टियर 6 तक के केंद्रों में शाखाओं के लिए 3 वर्ष के लिए अपने शाखा विस्तार हेतु प्रस्तावित मध्यावधि नीति के बारे में ब्यौरे दें

2) अगले 3 वर्षों में कारोबार का अपेक्षित स्तर

क. जमाराशियां

ख. अग्रिम

3) अगले 3 वर्षों में अपेक्षित ग्राहक आधार

4) तकनीकी कार्यान्वयनः

क. पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या

ख. नेटवर्क कनेक्टीविटी से युक्त शाखाओं की संख्या

ग. कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) से युक्त शाखाओं की संख्या

वर्तमान तकनीकी संरचना, प्रारंभ की गयी विविध तकनीकी पहल और मध्यावधि में अपने कारोबार के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित तकनीकी संवृद्धि/उन्नयन के संबंध में बैंक संक्षेप में एक विवरण भी प्रस्तुत करें।

5) वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु उपायः

ग्राहकों द्वारा रखे जाने के लिए वित्तीय समावेशन के प्रयासों के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम शेष के विविध स्तर/स्लैब तथा इन विविध स्तरों/स्लैबों से जुड़ी बैंक द्वारा दी जानेवाली संबंधित सेवाओं के बारे में बैंक ब्योरे दें।

अ) बैंक निम्नलिखित ब्योरे भी प्रस्तुत करें:-

क) क्या बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को लागू कर दिया है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा ।
ख) क्या बैंक की वेबसाइट बहुभाषी है।
ग) ग्रामीण विकास तथा स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआई) की स्थापना तथा वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श की दिशा में की गई अन्य पहल।
घ) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संपर्क।
ङ) माइक्रो एटीएम, किऑस्क की भांति सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन प्रयास।
च) वित्तीय समावेशन क्षेत्र में अन्य अद्यतन घटनाक्रम की दिशा में पहल/प्रगति।

आ) बैंक विगत तीन वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़े भी निम्नानुसार प्रस्तुत करें :-

छ) प्रति शाखा नो-फ्रिल्स खातों की औसत संख्या ।
ज) सामान्य क्रेडिट कार्ड अथवा नो-फ्रिल्स खातों में ओवरड्राफ्ट की औसत संख्या ।
झ) प्रति शाखा जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की औसत संख्या ।

6) दिये जानेवाले उत्पादों तथा सेवाओं के प्रभारों की अनुसूचीः

बैंक अपने ग्राहकों को दिये जानेवाले विविध उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्रभारों की अनुसूची
भेजें । विभिन्न खाते खोलने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शेष, न्यूनतम शेष न रखने के लिए प्रभार आदि ।

7) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखा नेटवर्क विस्तार के कारण ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, बैंक द्वारा उठाये जानेवाले कदम ।

8) पिछले दो वर्षों के दौरान बैंक में प्राप्त हुई शिकायतें (प्रमुख विषय / शिकायतों के प्रकार का उल्लेख किया जाए)

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	कुल	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या

9) प्रस्तावित शाखा विस्तार के कारण बढ़ने वाले कारोबार से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित उपाय -

- आंतरिक नियंत्रण और लेखा-परीक्षा
- आंतरिक प्रबंधन और मिलान
- परिचालन जोखिम से संबंधित अन्य क्षेत्र
- मानव संसाधन संबंधी मसले

10) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के संबंध में स्थिति

बैंकों द्वारा क्षेत्रवार सूचना दी जाए ।

11) ऋण जमा अनुपात के संबंध में ब्योरे :

(. . . . . को स्थिति) (राशि करोड़ रुपयों में)

मदें	**ग्रामीण**	**अर्ध-शहरी**	**शहरी**	**महानगरीय**	**कुल**
जमाराशियां					
अग्रिम					
ऋण जमा अनुपात					
प्रति शाखा जमाराशियां					
प्रति शाखा अग्रिम					

12) बैंकिंग समूह के कार्यकलाप तथा बैंक की अपनी सहायक, संबद्ध और सहयोगी संस्थाओं के साथ संबंध का स्वरूप ।

13) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी और क्या कोई अर्थ-दंड बैंक पर लगाया गया था? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें ।

14) पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं की सूची

क. टीयर 1 तथा टीयर 2 केंद्र

क्र. सं.	बैंपविवि का संदर्भ संख्या और तारीख	अनुबंध में अनुक्रमांक	केंद्र	ज़िला	राज्य	शाखा खोलने की तारीख

ख. टीयर 3 से टीयर 6 तक के केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम

क्र. सं.	केंद्र	ज़िला	राज्य	शाखा खोलने की तारीख

15) शाखाएं खोलने के लिए बैंक के पास **लंबित** प्राधिकरणों की सूची ।

क्र. सं.	बैंपविवि का संदर्भ संख्या और तारीख	अनुबंध में अनुक्रमांक	केंद्र	ज़िला	राज्य	टिप्पणी

16) ऐसी अन्य कोई जानकारी जो बैंक प्रस्तुत करना चाहे।

अनुबंध 4

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों की सूची (2001 की जनगणना के आधार पर)

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. अनंतपुर
3. कड़पा
4. करीमनगर
5. खम्मम
6. कुर्नूल
7. महबूबनगर
8. मेदक

असम

11. जोरहट
12. कार्बी आंगलांग
13. करीमगंज
14. कोकराझार
15. लखीमपुर
16. मोरीगांव
17. नागांव
18. नलबरी

9. नालगोंडा
10. रंगारेड्डी
11. श्रीकाकुलम
12. विजयनगरम
13. वारंगल

अरुणाचल प्रदेश

1. चुंगलांग
2. दिबांग वैली
3. ईस्ट कामेंग
4. लोहित
5. लोअर सुबन सिरी
6. तिरप
7. अप्पर सिआंग
8. अप्पर सुबनसिरी

असम

1 बारपेटा
2 बोंगाईगांव
3 कचार
4 दरांग
5 धेमाजी
6 धुबरी
7 डिब्रूगढ़
8 गोलपाड़ा
9 गोलाघाट
10 हैलाकांडी

बिहार

23. नवादा
24. पश्चिमी चंपारण
25. पूर्वी चंपारण
26. पूर्णिया
27. रोहतास
28. सहरसा
29. समस्तीपुर
30. सारण
31. शेखपुरा
32. शिवहर
33. सीतामढ़ी
34. सीवान
35. सुपौल
36. वैशाली

19. शिवसागर
20. सोनीतपुर
21. तिनसुकिया

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगुसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुइ
12. जेहानाबाद
13. कैमुर
14. कटिहार
15. खगड़िया
16. किशनगंज
17. लखिसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर
22. नालंदा

गुजरात

4. दाहोद
5. जूनागढ़
6. नर्मदा
7. पंच महल
8. पाटण
9. साबर कांठा
10. सूरत
11. सुरेंद्रनगर
12. डान्स

हरियाणा

1. फतेहाबाद
2. झज्जर
3. जिंद

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतरी
5. दुर्ग
6. जांजगीर-चंपा
7. जशपुर
8. कंकेर
9. कवर्धा
10. कोरबा
11. कोरिया
12. महासमुंद
13. रायगढ़
14. रायपुर
15. राजनंदगांव
16. सरगुजा

दादरा और नगर हवेली

1. दादरा और नगर हवेली

गुजरात

1. अमरेली
2. बनास कांठा
3. भावनगर
4. कैथल
5. महेंद्रगढ़

जम्मू और कश्मीर

1. अनंतनाग
2. डोडा
3. कुपवाड़ा
4. पुंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरिडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हज़ारीबाग
11. कोडरमा
12. लोहरदगा
13. पाकुड़
14. पलामू
15. पश्चिमी सिंहभूम

झारखंड

16. साहेबगंज

कर्नाटक

1. बेंगलूर रूरल
2. बीदर
3. चामराजनगर
4. गुलबर्गा
5. कोप्पल
6. रायचूर

केरला

1. मालापुरम

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट

मध्य प्रदेश

26. रतलाम
27. रीवा
28. सागर
29. सतना
30. सीहोर
31. सिवनी
32. शहडोल
33. शाजापुर
34. श्योपुर
35. शिवपुरी
36. सीधी
37. टीकमगढ़
38. उज्जैन
39. उमरिया
40. विदिशा

2. बड़वानी
3. बैतूल
4. भिंड
5. छत्तरपुर
6. छिंदवाड़ा
7. दमोह
8. दतिया
9. देवास
10. धार
11. डिंडोरी
12. पूर्वी निमाड़
13. गुना
14. हरदा
15. होशंगाबाद
16. झाबुआ
17. कटनी
18. मंडला
19. मंदसौर
20. मुरैना
21. नरसिंहपुर
22. नीमच
23. पन्ना
24. रायसेन
25. राजगढ़

महाराष्ट्र

22. सोलापुर
23. ठाणे
24. वर्धा
25. वाशिम
26. यवतमाल

मणिपुर

1. विष्णुपुर
2. चंदेल
3. चुराचंदपुर
4. इम्फाल ईस्ट
5. इम्फाल वेस्ट
6. तामेंगलाँग
7. थौबाल
8. उखरूल

मेघालय

1. ईस्ट गारो हिल्स
41. पश्चिमी निमाड़

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अकोला
3. अमरावती
4. औरंगाबाद
5. भंडारा
6. बीड़
7. बुलढ़ाणा
8. धुले
9. गडचिरोली
10. गोंडिया
11. हिंगोली
12. जलगांव
13. जालना
14. कोल्हापुर
15. लातूर
16. नांदेड
17. नंदुरबार
18. नासिक
19. उस्मानाबाद
20. परभणी
21. सातारा

उड़ीसा

5. भद्रक
6. बौध
7. धेनकनाल
8. गजपति
9. गंजम
10. जाजपुर
11. कालाहांडी
12. कंधमल
13. केंद्रपाडा
14. क्योंझर
15. कोरापुट
16. मलकाँगिरी
17. मयूरभंज
18. नवरंगपुर
19. नयागढ़
20. नवापाड़ा
21. पुरी
22. रायगढ़

2. साऊथ गारो हिल्स
3. वेस्ट गारो हिल्स

मिज़ोरम

1. लावांगटलाई
2. सैहा

नगालैंड

1. दीमापुर
2. कोहिमा
3. मोकोकचुंग
4. मॉन
5. फेक
6. ट्युएनसंग
7. वोखा
8. जुन्हेबोटो

उड़ीसा

1. अंगुल
2. बालंगीर
3. बालेश्वर
4. बारगढ़

राजस्थान

12. डुंगरपुर
13. हनुमानगढ़
14. जालौर
15. झालावाड़
16. झुनझुनू
17. जोधपुर
18. करौली
19. नागौर
20. पाली
21. राजसमंद
22. सवाई माधोपुर
23. सीकर
24. टोंक
25. उदयपुर

सिक्किम

1. पश्चिमी सिक्किम

तमिलनाडु

1. कुडलूर
23. सोनपुर
24. सुंदरगढ़

पांडिचेरी

1. यानम

पंजाब

1. मनसा

राजस्थान

1. अलवर
2. बांसवाड़ा
3. बारन
4. बाड़मेर
5. भरतपुर
6. भीलवाड़ा
7. बूंदी
8. चितौड़गढ़
9. चुरू
10. दौसा
11. धौलपुर

उत्तर प्रदेश

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. इलाहाबाद
4. आंबेडकर नगर
5. ओराइया
6. आज़मगढ़
7. बागपत
8. बहराइच
9. बलिया
10. बलरामपुर
11. बांदा
12. बाराबंकी
13. बरेली
14. बस्ती
15. बिजनौर
16. बदायूं
17. बुलंदशहर
18. चंदौली
19. चित्रकूट
20. देवरिया

2. धरमपुरी
3. कांचीपुरम
4. नागपट्टिनम
5. पेरांबलूर
6. पुदुकोट्टै
7. रामनाथपुरम्
8. सेलम
9. तिरुवल्लूर
10. तिरुवरूर
11. तिरुवन्नामलै
12. वेल्लूर
13. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. ढलाई
2. उत्तर त्रिपुरा
3. दक्षिण त्रिपुरा
4. पश्चिम त्रिपुरा

21. एटा
22. इटावा
23. फैज़ाबाद
24. फर्रुखाबाद
25. फतेहपुर
26. फिरोज़ाबाद
27. गाज़ीपुर
28. गोंडा
29. गोरखपुर
30. हमीरपुर
31. हरदोई
32. हाथरस
33. जालौन
34. जौनपुर
35. झांसी
36. ज्योतिबा फुले नगर
37. कनौज
38. कौशांबी
39. खीरी
40. कुशी नगर

उत्तर प्रदेश

41. ललितपुर
42. महाराजगंज
43. महोबा
44. मैनपुरी
45. मथुरा
46. मऊ
47. मिर्ज़ापुर
48. मुरादाबाद
49. मुजफ्फर नगर
50. पीलीभीत
51. प्रतापगढ़
52. राय बरेली
53. रामपुर
54. सहारनपुर
55. संत कबीर नगर
56. संत रविदास नगर
57. शाहजहांपुर
58. श्रावस्ती
59. सिद्धार्थनगर
60. सीतापुर
61. सोनभद्रा

पश्चिम बंगाल

1. बांकुरा
2. बर्धमान
3. बीरभूम
4. दक्षिण दिनाजपुर
5. हावड़ा
6. हुगली
7. जलपाइगुड़ी
8. कूच बिहार
9. मालदा
10. मेदिनीपुर
11. मुर्शिदाबाद
12. नदिया
13. उत्तरी 24 परगना
14. पुरुलिया
15. दक्षिणी 24 परगना
16. उत्तर दिनाजपुर

62. सुल्तानपुर
63. उन्नाव

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों की कुल संख्याः 375

अनुबंध 5

जनसंख्या के आधार पर केंद्रों का टियर-वार वर्गीकरण का ब्योरा

(i) केंद्रों का वर्गीकरण (टियर-वार)	**जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)**
टियर 1 -	1,00,000 तथा उससे अधिक
टियर 2-	50,000 से 99,999 तक
टियर 3-	20,000 से 49,999 तक
टियर 4-	10,000 से 19,999 तक
टियर 5-	5,000 से 9,999 तक
टियर 6 -	5000 से कम

(ii) केंद्रों का जनसंख्या -समूह वार वर्गीकरण

ग्रामीण केंद्र	9,999 तक
अर्ध-शहरी केंद्र	10,000 से 99,999 तक
शहरी केंद्र	1,00,000 से 9,99,999
महानगरीय केंद्र	10,00,000 तथा उससे अधिक जनसंख्या

अनुबंध 6

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची
(2001 की जनगणना के आधार पर)

	अरुणाचल प्रदेश		**बिहार**
1.	चुंगलांग	8.	दरभंगा
2.	दिबांग वैली	9.	गया
3.	ईस्ट कामेंग	10.	गोपालगंज
4.	लोहित	11.	जमुई
5.	लोअर सुबनसिरी	12.	जहानाबाद
6.	तिरप	13.	कैमूर
7.	अपर सिआंग	14.	कटिहार
8.	अपर सुबनसिरी	15.	खगड़िया
	असम	16.	किशनगंज
1	बरपेटा	17.	लखिसराय
2	बोंगाईगांव	18.	मधेपुरा
3	कचार	19.	मधुबनी
4	दरांग	20.	मुंगेर
5	धेमाजी	21.	मुजफ्फरपुर
6	धुबरी	22.	नालंदा
7	डिब्रूगढ़	23.	नावादा
8	गोलपाड़ा	24.	पश्चिमी चंपारण
9	गोलाघाट	25.	पूर्वी चंपारण
10	हैलाकांडी	26.	पूर्णिया
11	जोरहट	27.	रोहतास
12	कार्बी आंगलांग	28.	सहरसा
13	करीमगंज	29.	समस्तीपुर
14	कोकराझार	30.	सारण
15	लखीमपुर	31.	शेखपुरा

16	मोरीगांव	32.	शिवहर
17	नागांव	33.	सीतामढ़ी
18	नलबारी	34.	सिवान
19	शिवसागर	35.	सुपौल
20	सोनितपुर	36.	वैशाली
21	तिनसुकिया		**छत्तीसगढ़**
	बिहार	1.	बस्तर
1.	अररिया	2.	बिलासपुर
2.	औरंगाबाद	3.	दांतेवाड़ा
3.	बांका	4.	धमतारी
4.	बेगुसराय	5.	दुर्ग
5.	भागलपुर	6.	जंजगीर-चंपा
6.	भोजपुर	7.	जशपुर
7.	बक्सर	8.	कंकेर
	छत्तीसगढ़		**मध्य प्रदेश**
9.	कावर्धा	14.	हरदा
10.	कोरबा	15.	होशंगाबाद
11.	कोरिया	16.	झाबुआ
12.	महासमुंद	17.	कटनी
13.	रायगढ़	18.	मंडला
14.	रायपुर	19.	मंदसौर
15.	राजनंदगांव	20.	मुरैना
16.	सरगुजा	21.	नरसिंहपुर
	दादरा और नागर हवेली	22.	नीमच
1.	दादरा और नागर हवेली	23.	पन्ना
	झारखंड	24.	रायसेन
1.	बोकारो	25.	राजगढ़
2.	चतरा	26.	रतलाम
3.	देवघर	27.	रीवा
4.	धनबाद	28.	सागर
5.	दुमका	29.	सतना
6.	गढ़वा	30.	सीहोर
7.	गिरिडीह	31.	सिवनी
8.	गोड्डा	32.	शहडोल
9.	गुमला	33.	शाजापुर
10.	हज़ारीबाग	34.	शिवपुर
11.	कोडेरमा	35.	शिवपुरी
12.	लोहरदगा	36.	सीधी
13.	पाकुर	37.	टीकमगढ़
14.	पलामू	38.	उज्जैन
15.	पश्चिमी सिंहभूम	39.	उमरिया
16.	साहेबगंज	40.	विदिशा
	मध्य प्रदेश	41.	पश्चिमी निमाड़

1.	बालाघाट		**मणिपुर**
2.	बड़वानी	1.	विष्णुपुर
3.	बैतूल	2.	चंदेल
4.	भिंड	3.	चुरचंदपुर
5.	छतरपुर	4.	इम्फाल ईस्ट
6.	छिंदवाड़ा	5.	इम्फाल वेस्ट
7.	दामोह	6.	तामेंगलाँग
8.	दतिया	7.	थौबाल
9.	देवास	8.	उखरूल
10.	धार		**मेघालय**
11.	डिंडोरी	1	ईस्ट गारो हिल्स
12.	पूर्वी निमाड़	2	साऊथ गारो हिल्स
13.	गुना	3	वेस्ट गारो हिल्स
	मिज़ोरम	5	भरतपुर
1	लावांगटलाई	6	भीलवाड़ा
2	सैहा	7	बूंदी
	नगालैंड		
1	दीमापुर	8	चितौड़गढ़
2	कोहिमा	9	चुरू
3.	मोकोकचुंग	10	दौसा
4.	मॉन	11	धौलपुर
5.	फेक	12	डुंगरपुर
6.	ट्युएनसंग	13	हनुमानगढ़
7.	वोखा	14	जालौर
8.	जुन्हेबोटो	15	झालावाड़
	उड़ीसा	16	झुनझुनु
1	अंगुल	17	जोधपुर
2	बालंगीर	18	करौली
3	बालेश्वर	19	नागौर
4	बारगढ़	20	पाली
5	भद्रक	21	राजसमंद
6	बौध	22	सवाई माधोपुर
7	धेनकनाल	23	सीकर
8	गजपति	24	टोंक
9	गंजम	25	उदयपुर
10	जाजपुर		**त्रिपुरा**
11	कालाहांडी	1	ढलाई
12	कंधमाल	2	उत्तर त्रिपुरा
13	केंद्रपाड़ा	3	दक्षिण त्रिपुरा
14	केओनझार	4	पश्चिम त्रिपुरा
15	कोरापुट		**उत्तर प्रदेश**
16	मालकाँगिरी	1	आगरा
17	मयूरभंज	2	अलीगढ़

18	नवरंगपुर	3	इलाहाबाद
19	नयागढ़	4	आंबेडकर नगर
20	नवापाड़ा	5	ओरइया
21	पुरी	6	आज़मगढ़
22	रायगढ़	7	बागपत
23	सोनेपुर	8	बहराइच
24	सुंदरगढ़	9	बलिया
	राजस्थान	10	बलरामपुर
1	अलवर	11	बांदा
2	बांसवाड़ा	12	बाराबंकी
3	बारन	13	बरेली
4	बाड़मेर	14	बस्ती
	उत्तर प्रदेश		**उत्तर प्रदेश**
15	बिजनौर	55	संत कबीर नगर
16	बदायूं	56	संत रविदास नगर
17	बुलंदशहर	57	शाहजहांपुर
18	चंदौली	58	श्रावस्ती
19	चित्रकूट	59	सिद्धार्थनगर
20	देवरिया	60	सीतापुर
21	एटा	61	सोनभद्र
22	इटावा	62	सुल्तानपुर
23	फैज़ाबाद	63	उन्नाव
24	फर्रुखाबाद		**पश्चिम बंगाल**
25	फतेहपुर	1	बांकुरा
26	फिरोज़ाबाद	2	बर्धमान
27	गाज़ीपुर	3	बीरभूम
28	गोंडा	4	दक्षिण दिनाजपुर
29	गोरखपुर	5	हावड़ा
30	हमीरपुर	6	हुगली
31	हरदोई	7	जलपाइगुड़ी
32	हाथरस	8	कूच बिहार
33	जालौन	9	मालदा
34	जौनपुर	10	मेदिनीपुर
35	झांसी	11	मुर्शिदाबाद
36	ज्योतिबा फुले नगर	12	नदिया
37	कन्नौज	13	उत्तर 24 परगना
38	कौशांबी	14	पुरुलिया
39	खीरी	15	दक्षिण 24 परगना
40	कुशी नगर	16	उत्तर दिनाजपुर
41	ललितपुर		**जम्मू एंड कश्मीर**
42	महाराजगंज	1.	अनंतनाग
43	महोबा	2.	डोडा
44	मैनपुरी	3.	कूपवाड़ा

45	मथुरा	4.	पुंछ
46	मऊ		
47	मिर्ज़ापुर		
48	मुरादाबाद		
49	मुजफ्फर नगर		
50	पीलीभीत		
51	प्रतापगढ़		
52	राय बरेली		
53	रामपुर		
54	सहारनपुर		

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की कुल संख्या - 296

अनुबंध 7

बैंक का नामः

शाखाओं का स्थान एक केंद्र से दूसरे केंद्र में बदलने का प्रस्ताव

क्रमा सं.	शाखा का नाम (केंद्र/ स्थान)	जिला	राज्या	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	किस स्थान पर बदलना प्रस्तावित है (केंद्र का नाम)	दोनों केंद्रों के बीच की दूरी	शाखा कितने वर्ष से हानि उठा रही है	स्थान बदलने के लिए कारण	**डीसीसी # अनुमोदन का विवरण**	टिप्पणी

 # (डीएलसीसी/डीसीसी अनुमोदन के कार्य विवरण की प्रति, संलग्न की जानी चाहिए जिसमें शाखा के स्थान परिवर्तन के कारण विनिर्दिष्ट किए गए हों)

अनुबंध 8

बैंक का नाम:

शाखाओं के विलयन के प्रस्ताव

क्रम सं.	शाखा का नाम (केंद्र/ स्थान)	शाखा की जनसंख्या श्रेणी	ज़िला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	किस शाखा के साथ विलयन प्रस्तावित है (शाखा का नाम)	दोनों शाखाओं के बीच की दूरी	विलयन के लिए कारण	डीसीसी # अनुमोदन का विवरण	टिप्पणी

- *सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए भी ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन अपेक्षित है।*

 # डीएलसीसी/डीसीसी अनुमोदन के कार्य विवरण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें शाखा विलयन के कारण विनिर्दिष्ट किए गए हों।

अनुबंध 9

बैंक का नाम:

शाखाएं बंद करने के प्रस्ताव

क्रम सं.	बंद की जानेवाली शाखा (केंद्र/स्थान)	शाखा की जनसंख्या श्रेणी	ज़िला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	बंद करने के लिए कारण	डीसीसी # अनुमोदन का विवरण	टिप्पणी

- *सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई अर्ध-शहरी शाखाओं केलिए भी ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।*

 # डीएलसीसी/डीसीसी अनुमोदन के कार्य विवरण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें शाखा बंद करने के कारण विनिर्दिष्ट किए गए हों।

अनुबंध 10

परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 65/22.01.001/2009-10 दिनांक 1 दिसंबर 2009 के अनुसार सामान्य अनुमति के अंतर्गत टियर 3 से टियर 6 तक के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

क्र.सं.	पूरा पता	केंद्र	केंद्र का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण (ग्रामीण/ अर्धशहरी/ शहरी)	टियर-वार वर्गीकरण (टियर 1 - टियर 6)	ज़िला	क्या अल्प बैंकिंग सुविधायुक्त ज़िला है या नहीं	राज्य	शाखा खोलने की तारीख

अनुबंध 11

बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम के परिचालन के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

क्रम सं.	पूरा पता	केंद्र	केंद्र का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण (ग्रामीण/ अर्धशहरी/ शहरी/ महानगरीय)	ज़िला	क्या अल्प बैंकिंग सुविधायुक्त ज़िला है या नहीं	राज्य	ऑफ साइट एटीएम के परिचालनगत होने की तारीख

अनुबंध 12

बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम परिचालनगत होने की शर्तें

(i) ऑफ साइट एटीएम में हुए लेनदेन के कारोबार को संबंधित शाखा /आधारभूत शाखा/ केंद्रीयकृत डाटा केंद्र की बही में अभिलेखित किया जाएगा।

(ii) ऐसे ऑफ साइट एटीएम केंद्र पर सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति तैनात नहीं किया जाएगा।

(iii) बैंक द्वारा एटीएम की नकदी की आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आपाती व्यवस्था की जाएगी।

(iv) बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि एटीएम के माध्यम से परिचालित होने वाले नोट भलीभाँति सॉर्ट किए गए और परीक्षण किए गए हों।

(v) एटीएम स्क्रीन /नेटवर्क पर तीसरी पार्टी के विज्ञापन जैसे अन्य उत्पादकों /व्यापारियों /विक्रेताओं के उत्पाद प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। तथापि, बैंकों द्वारा एटीएम स्क्रीनों पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुबंध 13

एटीएम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सुविधाएँ

1. जमा / निकासी
2. व्यक्तिगत पहचान नंबर (पीआईएन) परिवर्तन
3. चेक बुक की माँग
4. खातों का विवरण
5. शेष राशि की पूछताछ
6. बैंक में उस ग्राहक के खातों या बैंक के विभिन्न ग्राहकों तथा उस केंद्र या देश के भीतर अन्य केंद्रों में अंतर खाता अंतरण
7. अंतर बैंक निधि अंतरण - बैंक के ग्राहकों तथा अन्य बैंकों के ग्राहकों के बीच निधि का अंतरण
8. बैंक से लिखित संवाद करने के लिए मेल सुविधा
7. बिजली बिल, टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता भुगतान
10. रेल टिकट जारी करना
11. उत्पादों की जानकारी

अनुबंध 14

प्रोफार्मा - I

बैंकों द्वारा नयी शाखा /कार्यालय/एनएआईओ खोले जाने पर प्रस्तुत की जानेवाली विवरणी /तिमाही आधार पर

(कृपया प्रोफार्मा I तथा II भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें)

मदें

1. (क) वाणिज्य बैंक /**अन्य वित्तीय संस्था** / सहकारी संस्था का नाम: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ख) निम्नलिखित के लिए प्रोफार्मा :

बैंक की शाखा / कार्यालय ( )
ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) ( )
अन्य वित्तीय संस्था की शाखा / कार्यालय ( )
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

(ग) एकसमान कूट : भाग I (7/9 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐

(अनुदेश **I, II, III** देखें; **स्पष्टीकरण भी देखें**) (**एनएआईओ** के लिए)

भाग -II (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

(भारतीय रिज़र्व बैंक आबंटित करेगा)

(अनुदेश **I,II,III** देखें; **स्पष्टीकरण भी देखें**)

2. (क) नयी **शाखा /कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय** का नाम :

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भ संख्या ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

तथा संदर्भ तारीख : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
दिन माह वर्ष

(ग) लाइसेन्स (प्राधिकरण) संख्या /अनुबंध क्रमांक : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(भारिबैं से प्राप्त संख्या)

(घ) लाइसेन्स (प्राधिकरण) की तारीख : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

(स्पष्टीकरण देखें) दिन माह वर्ष

(ङ) क्या यह लाइसेन्स (प्राधिकरण) के पुनर्वैधीकरण का मामला है :

हां ( ) नहीं ( )

यदि हां, तो पुनर्वैधीकरण की तारीख दें (स्पष्टीकरण देखें) :

☐☐/☐☐/☐☐☐☐
दिन माह वर्ष

3. नयी **शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,** को खोलने की तारीख : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
दिन माह वर्ष

4. डाक पता :

4.1 भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि कोई हो) : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4.2 सड़क का नाम (यदि कोई हो) : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4.3 (क) डाक घर का नाम : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ख) पिन कोड : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

4.4 केंद्र में इलाके का
नाम (राजस्व इकाई) : ………………………………
(स्पष्टीकरण देखें)

4.5 तहसील /तालुका /उप-मंडल का नाम : ………………………

4.6 टेलीफोन नं./टेलेक्स नं. (एसटीडी कोड सहित) : ……………

4.7 फैक्स नं. : ………………………

4.8 ई-मेल पता : ………………………

5. (क) केंद्र का नाम (राजस्व गांव /शहर /नगर /नगरपालिका / नगर निगम) जिसकी सीमाओं के भीतर शाखा / कार्यालय स्थित है :
………………………

(<u>यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है</u> : स्पष्टीकरण देखें)

(ख) सामुदायिक विकास खंड / विकास खंड /तहसील /तालुका / उप-मंडल / मंडल / पुलिस थाने का नाम : --------------------------------

(ग) ज़िले का नाम : ………………………………

(घ) राज्य का नाम : ………………………………

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र
(राजस्व इकाई) की जनसंख्या : ……………………
(स्पष्टीकरण देखें)

6. **क्या आपके केंद्र में** अपनी **शाखा / कार्यालय /एनएआईओ** के अलावा कोई अन्य प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र बैंक शाखा (शाखाएं) / कार्यालय है / हैं: हां : ( ) नहीं : ( )
(स्पष्टीकरण देखें तथा उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

7. (क) नयी **शाखा /कार्यालय /एनएआईओ** की व्यावसायिक स्थिति (स्पष्टीकरण देखें):

<u>कूट</u> [ ][ ] <u>स्थिति **नाम**</u> : ………………………………

(ख) जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय के मामले में निम्नलिखित ब्योरे दें (स्पष्टीकरण देखें) :

(i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम : ………………………………
(ii) आधार शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या

<u>भाग -I (7 अंक) :</u> [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

<u>भाग -II (7 अंक) :</u> [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8. (i) (क) केंद्र सरकार के कारोबार की स्थिति :
(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

<u>केंद्र सरकार के कारोबार का प्रकार</u>

(1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है

(2) ( ) प्रत्यक्ष कर
(3) ( ) विभागीकृत मंत्रालयों का खाता (डीएमए)
(4) ( ) पेन्शन
(5) ( ) बांड निर्गम
(6) ( ) अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : ……………………

(ख) राज्य सरकार के कारोबार की स्थिति (अर्थात् राजकोषीय / उप-राजकोषीय कारोबार) : **(समुचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)**

राजकोषीय /उप-राजकोषीय कारोबार का प्रकार (राज्य सरकार)

(1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है
(2) ( ) राजकोषीय कारोबार
(3) ( ) उप-राजकोषीय कारोबार
(4) ( ) पेन्शन
(5) ( ) बांड निर्गम
(6) ( ) अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : ……………………

(ii) क्या इस शाखा /कार्यालय से मुद्रा तिजोरी (करेन्सी चेस्ट) संबद्ध है : हां ( ) नहीं ( )

(अ) यदि 'हां' तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) करेन्सी चेस्ट का प्रकार : क ( ) ख ( ) ग ( )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं ।

(ख)करेन्सी चेस्ट की स्थापना की तारीख : [|] / [|] / [| | |]

दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट कूट संख्या : [| | | | | | |]

(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित **8 अंकीय** कूट संख्या यहां लिखें)

(घ) जहां करेन्सी चेस्ट स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :

("क्षेत्र का प्रकार" कूट का उल्लेख करें; स्पष्टीकरण देखें)

कूट [ ] क्षेत्र का प्रकार : ……………………

(आ) यदि 'नहीं' तो, करेन्सी चेस्ट सुविधा वाली निकटतम शाखा /कार्यालय का विवरण दें :

(क) बैंक का नाम : ……………………

(ख) शाखा का नाम : ……………………

(ग) एकसमान कूट संख्या का भाग - I : [| | | | | |]

(घ) दूरी (कि.मी. में) : ……………………

(ङ) केंद्र का नाम : ……………………

(iii) क्या इस शाखा /कार्यालय से कोई आधान (रिपोजिटरी) संबद्ध है ? हां ( ) नहीं ( )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(iv) क्या इस शाखा /कार्यालय से छोटे सिक्कों का डिपो संबद्ध है ? हां ( ) नहीं ( )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(v) **क्या करेन्सी चेस्ट /रिपोजिटरी /छोटे सिक्कों का डिपो सुविधा वाली शाखा से कोई ऐसा कार्यालय संबद्ध है जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ?**

हां ( ) नहीं ( )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

9. शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है द्वारा संचालित कारोबार का स्वरूप :

(उचित खाने /खानों में सही (√) निशान लगाएं)

नाम

(1) ( ) बैंकिंग कारोबार
(2) ( ) मर्चंट बैंकिंग कारोबार
(3) ( ) विदेशी मुद्रा
(4) ( ) स्वर्ण जमा
(5) ( ) बीमा
(6) ( ) प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय
(7) ( ) प्रशिक्षण केंद्र
(8) ( ) अन्य (यदि कोई है तो कृपया उल्लेख करें) : ....

10. (क) शाखा / कार्यालय की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी : ए ( ) बी ( ) सी ( )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(ख) प्राधिकार देने की तारीख : [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

(ग) 'सी' श्रेणी के कार्यालय के मामले में, उस 'ए ' अथवा 'बी' श्रेणी की शाखा / कार्यालय का नाम तथा एकसमान कूट संख्याएं लिखें जिसके माध्यम से उसके विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निपटान होता है :

(i) शाखा /कार्यालय का नाम : ....

(ii) शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्याएं :

भाग - I : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] भाग - II : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(7 अंक)

(7 अंक)

11. शाखा /कार्यालय की प्रौद्योगिकी सुविधा :

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

प्रौद्योगिकी सुविधा

(1) ( ) अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है
(2) ( ) अंशतः कंप्यूटरीकृत
(3) ( ) पूर्णतः कंप्यूटरीकृत

12. शाखा /कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय में उपलब्ध संचार सुविधा :

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

संचार सुविधा

(1) ( ) कोई नेटवर्क नहीं है
(2) ( ) इन्फीनेट
(3) ( ) इंटरनेट
(4) ( ) इंट्रानेट
(5) ( ) कोर बैंकिंग सोल्यूशन
(6) ( ) अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) _____

13. शाखा / कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय के लिए मैग्नेटिक इंक कोड रीडर (माइकर कूट) संख्या : _____

14. कोई अन्य विवरण (कृपया उल्लेख करें) : _____

---

15. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए :

(क) एडी क्षेत्र कार्यालय कूट :
(ख) जनगणना वर्गीकरण कूट :
(ग) पूर्ण डाक पता :

प्रोफार्मा - II

बैंकों द्वारा विद्यमान शाखा /कार्यालय/एनएआईओ की स्थिति में हुए बदलाव/विलयन /परिवर्तन/बंद आदि करने पर रिज़र्व बैंक को तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत की जानेवाली विवरणी /तिमाही आधार पर :

(कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व सभी अनुदेश तथा स्पष्टीकरण पढ़ें । प्रोफार्मा - II में विभिन्न मदों के समक्ष कोष्ठकों में दी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियां संलग्न "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रोफार्मा - I की मद संख्याओं से संबंधित हैं)

बैंक /अन्य वित्तीय संस्था /सहकारी संस्था का नाम :-

अ. शाखा/कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की स्थिति/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी / व्यवसाय के स्वरूप / डाक पते में हुआ परिवर्तन :

1. **शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) :

(क) **पुराना नाम :**

(ख) **वर्तमान नाम :**

(ग) नाम में परिवर्तन करने की तारीख :

दिन माह वर्ष

2. एकसमान कूट (विद्यमान)

(क) भाग - I (7/9 अंक) :

(ख) भाग - II (7 अंक) :

3. **शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** के व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन (मद सं. 7 (क) में स्पष्टीकरण देखें) :

क) पुरानी स्थिति का नाम : : कूट

ख) वर्तमान स्थिति का नाम : : कूट

ग) स्थिति के परिवर्तन की तारीख (यदि हो) :

दिन माह वर्ष

4. व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन :

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

(क)	*पुराना*	*नाम*	*वर्तमान*
(1)	*( )*	*बैंकिंग व्यवसाय*	*( )*
(2)	*( )*	*वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय*	*( )*
(3)	*(*	*विदेशी मुद्रा*	*(*

	)		)
(4)	(	*स्वर्ण जमा*	(
	)		)
(5)	(	*बीमा*	(
	)		)
(6)	(	*प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय*	(
	)		)
(7)	(	*प्रशिक्षण केंद्र*	(
	)		)
(8)	(	*अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख*	(
	)	*करें)*	)

(ख) व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन की तारीख (यदि हो)

दिन माह वर्ष

5. (क) **शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** की प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन :

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

	पुराना		प्रौद्योगिक सुविधा	वर्तमान
(1)	( )	अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है		( )
(2)	( )	अंशतः कंप्यूटरीकृत		( )
(3)	( )	पूर्णतः कंप्यूटरीकृत		( )

(ख) प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन की तारीख :

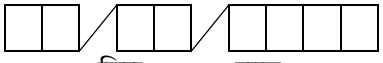

दिन माह वर्ष

6. **(क) शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** में संचार सुविधा :

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

	पुराना		*संचार सुविधा*	*वर्तमान*
(1)	*( )*	***नेटवर्क नहीं है***		*( )*
(2)	*( )*	***इंफीनेट***		*( )*
(3)	*( )*	***इंटरनेट***		*( )*

(4) ( ) इंट्रानेट ( )

(5) ( ) कोर बैंकिंग सोल्यूशन ( )

(6) ( ) अन्य ( )

(कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ~~~~~~~~~~~~~~

संचार सुविधा में परिवर्तन की तारीख [|] / [|] / [| | |]

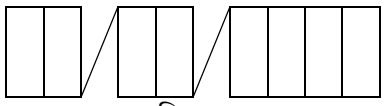

दिन माह वर्ष

7. शाखा /कार्यालय की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी दें :

क) पुरानी श्रेणी : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ख) नयी /परिवर्तित श्रेणी : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आगे, उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं :

दर्जा बढ़ाया गया ( ) दर्जा घटाया गया ( ) नये रूप से प्राधिकृत ( )

ग) दर्जा बढ़ाने/दर्जा घटाने/प्राधिकार देने की तारीख

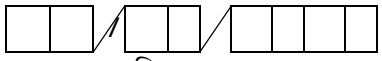

[|] / [|] / [| | |]

दिन माह वर्ष

घ) यदि सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा को विदेशी मुद्रा व्यवसाय संभालने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है और वह प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 'सी' की शाखा है तो जिस संपर्क शाखा /कार्यालय के माध्यम से उसके लेनदेनों की रिपोर्ट होती है उसकी एकसमान कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) : [| | | | | |]

भाग - II (7 अंक) : [| | | | | |]

ङ) यदि विद्यमान 'सी' श्रेणी शाखा का संपर्क कार्यालय बदल दिया गया है, तो नये संपर्क कार्यालय की भाग-I तथा II कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) : [| | | | | |]

भाग - II (7 अंक) : [| | | | | |]

च) यदि 'ए' /'बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा का दर्जा घटाकर उसे 'सी' श्रेणी का कर दिया गया है, तो उस संपर्क शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या दें जिसके माध्यम से दर्जा घटायी गयी 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के लेनदेनों को रिपोर्ट किया जाता है :

भाग - I (7 अंक) : [| | | | | |]

भाग - II (7 अंक) : [| | | | | |]

छ) यदि 'ए' /'बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा, जो कि एक अथवा अधिक 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, का दर्जा घटाकर उसे 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा बना दिया गया है, तो उन प्राधिकृत व्यापारी (रियों) की भाग-I

कूट संख्या (एं) दें जिसे (जिन्हें) उक्त'सी' श्रेणी शाखा (ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है ।

'सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट सं.		**संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट सं.**	
भाग - I :		**भाग - I :**	
भाग - I :		**भाग - I :**	
भाग - I :		**भाग - I :**	

(यदि 'सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

ज) यदि अकेले ही सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा /'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा को 'ए'/'बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा का कार्य सौंपा जाता है अथवा उसका दर्जा बढ़ाया जाता है, तो नये तौर पर दर्जा बढ़ाई गई प्राधिकृत व्यापारी शाखा से जुड़ने वाली सभी 'सी' श्रेणी शाखाओं की भाग -I कूट संख्या दें:

भाग - I (7 अंक) :	
भाग - I (7 अंक) :	
भाग - I (7 अंक) :	

(यदि 'सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

8. करेंसी चेस्ट /रिपोज़िटरी /सिक्का डिपो /सरकारी कारोबार आदि की स्थिति में परिवर्तन यदि है, तो उससे संबंधित ब्यौरे (खोलने/अंतरण /परिवर्तन /बंद करने सहित)। अंतरण /परिवर्तन /बंद करने के इन सभी मामलों में तारीख का भी उल्लेख करें

(क) (i) केंद्र सरकार का कारोबार

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

पुराना		*सरकारी कारोबार का प्रकार*	*नया*
(1)	( )	*सरकारी कारोबार नहीं है*	( )
(2)	( )	*प्रत्यक्ष कर*	( )
(3)	( )	*विभागीकृत मंत्रालय लेखा (डीएमए)*	( )
(4)	( )	*पेन्शन*	( )
(5)	( )	*बांड निर्गम*	( )

(6) ( ) अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) : .... ( )

(ii) परिवर्तन की तारीख : [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

(ख) (i) राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार (राज्य सरकार का कारोबार)
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

<u>*पुराना*</u>		<u>*राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार का प्रकार*</u>	<u>*नया*</u>
(1)	*( )*	*सरकारी कारोबार नहीं है*	*( )*
(2)	*( )*	*राजकोषीय कारोबार*	*( )*
(3)	*( )*	*उप राजकोषीय कारोबार*	*( )*
(4)	*( )*	*पेन्शन*	*( )*
(5)	*( )*	*बांड निर्गम*	*( )*
(6)	*( )*	*अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) : ....*	*( )*

(ii) परिवर्तन की तारीख : [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट का प्रकार बताएं :

<u>पुरानी</u> : ( ) <u>वर्तमान</u> : ( )

परिवर्तन की तारीख : [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

(घ) यदि करेन्सी चेस्ट के लिए नये तौर पर प्राधिकार दिये गये हैं तो निम्नलिखित को दर्शाएं :

(i) करेन्सी चेस्ट का प्रकार (उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं) :
क ( ) ख ( ) ग ( )

(ii) प्राधिकार देने की तारीख : [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

(iii) करेन्सी चेस्ट कूट सं. : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या लिखें)

(iv) करेंसी चेस्ट जहां स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :
('क्षेत्र का प्रकार' कूट संख्या दें : स्पष्टीकरण देखें)

<u>कूट संख्या :</u> [ ] <u>क्षेत्र का प्रकार :</u> ....

(ङ) रिपोज़िटरी : ....

(च) सिक्का-डिपो : ....

9. पूरा डाक पता : (मद संख्या 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें)

(i) <u>पुराना</u>

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : ....

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : ....

(ग) (i) डाक घर का पता : ....

(ii) पिन कोड :

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ....

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : ....

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल / पुलिस थाने का नाम : ....

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : ....

(ज) फैक्स सं. : ....

(झ) **ई-मेल पता :** ....

(ii) <u>वर्तमान</u>

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : ....

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : ....

(ग) (i) डाक घर का पता : ....

(ii) पिन कोड :

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ....

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : ....

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल / पुलिस थाने का नाम : ....

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : ....

(ज) फैक्स सं. : ....

(झ) **ई-मेल पता :** ....

(iii) पते में परिवर्तन की तारीख

		/			/				
दिन			माह			वर्ष			

10. (i) **यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** को अलग केंद्र (राजस्व इकाई) पर पुनः स्थापित किया गया है तो वर्तमान केंद्र के ब्योरे दें :

((क), (ख), (ग) तथा (च) के लिए क्रमशः मद सं. 2(क), 5(क), 5(ख) तथा 5(ङ)
में स्पष्टीकरण देखें)

(क) **शाखा /कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का नाम : ~~~~~~~~~~~~~~~~

(ख) राजस्व इकाई (केंद्र का नाम) : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ग) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग / मंडल /पुलिस थाने का नाम : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(घ) जिले का नाम : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ङ) राज्य का नाम : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(च) केंद्र की जनसंख्या (नवीनतम जनगणना के अनुसार) : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ii) केंद्र में परिवर्तन की तारीख ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
दिन माह वर्ष

11. **यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र पर पुनःस्थापित किया गया है तो पुनःस्थापन के कारण दें : ~~~~~~~~~~~~~~~~**

(क) लाइसेंस सं. : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ख) भा.रि.बैं. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ~~~~~~~~~~~~~~~~में लाइसेंस को उचित रूप से संशोधित करने की तारीख :

☐☐/☐☐/☐☐☐☐
दिन माह वर्ष

(ग) भा.रि.बैं. के केंद्रीय कार्यालय के अनुमोदन की संदर्भ सं.तथा तारीख :

संदर्भ सं. ~~~~~~~~~~ तारीखः ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
दिन माह वर्ष

12. किसी प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की आधार शाखा /कार्यालय का परिवर्तन /बंद होने के मामले में निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) पुरानी आधार शाखा/कार्यालय का भाग-I कूट सं. : ☐☐☐☐☐☐☐

(ख) नयी आधार शाखा /कार्यालय का भाग-I कूट सं. : ☐☐☐☐☐☐☐

13. कोई अन्य जानकारी : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ख. <u>शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का बंद होना/विलयन /परिवर्तन :</u>

1. समापन ( ) विलयन ( ) परिवर्तन ( ) की सूचना
(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

2. **शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) : ----------

3. एकसमान कूट संख्याएं (मद सं. 1(ख) में स्पष्टीकरण देखें) :

भाग - I [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] भाग - II : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

4. (क) **शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का डाक पता :
(मद सं. 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें) :

(i) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : ……………………

(ii) सड़क का नाम (यदि हो) : ……………………

(iii) (क) डाक घर का पता : ……………………

(ख) पिन कोड : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(iv) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ……………………

(v) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /
पुलिस थाने का नाम : ……………………

(vi) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : ……………………

(vii) फैक्स सं. : ……………………

(viii) ई-मेल पता : ……………………

(ख) केंद्र का नाम : ……………………
(मद सं. 5(क) में स्पष्टीकरण देखें)

(ग) जिले का नाम : ……………………

(घ) राज्य का नाम : ……………………

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र (राजस्व इकाई) की जनसंख्या :
……………………
(मद सं. 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें)

5. समापन /विलयन /परिवर्तन की तारीखः [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

6. <u>भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा तारीख :</u>

संदर्भ सं. ……………………

तारीखः [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

7. बंद करने /विलयन/परिवर्तन का कारण : ……………………

8. भारिबैं के ……………………स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को
……………………
(शाखा /कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम) के लिए लाइसेंस वापस करने की तारीख :

[ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

9. ऐसी 'ए'/'बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के समापन /विलयन के मामले में, जो एक या उससे अधिक 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं), के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, उन प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) की भाग I कूट संख्या दें जिसे/जिन्हें उक्त 'सी' श्रेणी शाखा(ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है :

<u>'सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट संख्या</u> **<u>संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट संख्या</u>**

भाग - I :	☐☐☐☐☐☐☐ :	भाग - I	☐☐☐☐☐☐☐
भाग - I :	☐☐☐☐☐☐☐ :	भाग - I	☐☐☐☐☐☐☐
भाग - I :	☐☐☐☐☐☐☐ :	भाग - I	☐☐☐☐☐☐☐

(यदि 'सी' श्रेणी शाखों की सूची बड़ी है तो सूची संलग्न करें)

10. यदि शाखा/कार्यालय को ऐसे कार्यालय के रूप में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ), परिवर्तित किया गया है तो ऐसे एनएआईओ का प्रकार दें:

(मद सं. 7 (क) (iv) में स्पष्टीकरण देखें)

स्थिति नाम : .... कूट संख्या : ☐☐

11. <u>आधार /आमेलक शाखा /कार्यालय का विवरण :</u>

(क) <u>**प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में** परिवर्तित होने के मामले में</u> :

i) **आधार** शाखा /कार्यालय का नाम : ....

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

भाग - II (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

iii) संपूर्ण डाक पता : ....

....

(ख) <u>शाखाओं /कार्यालयों/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के विलय /आमेलन के मामलों में</u> :

i) **आमेलक** शाखा /कार्यालय का नाम : ....

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

भाग - II (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

iii) संपूर्ण डाक पता : _____

_____

(ग) यदि कतिपय प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के लिए आधार शाखा के रूप में कार्य करने वाली शाखा को समाप्त / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में परिवर्तित /अन्य शाखा में विलयित किया गया है तो उन प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों की आधार शाखा के ब्योरे दें, जो समाप्त / परिवर्तित/विलयित शाखा से पूर्व में संबद्ध थे :

i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम : _____

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

iii) संपूर्ण डाक पता : _____

_____

टिप्पणी : 1) इस प्रोफार्मा में अलग-अलग समक्ष कोष्ठकों में रखी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियों के लिए कृपया अनुलग्नक "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण " देखें ।

2) इस प्रोफार्मा में जब तक 7 अंकीय एकसमान कूट संख्याओं के भाग I तथा भाग II का उल्लेख नहीं किया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

<u>प्रोफार्मा - I तथा II भरने के लिए अनुदेश</u>

टिप्पणी : कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व निम्न अनुदेश पढ़ें

I. प्रोफार्मा - I शाखा/कार्यालय/ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** के खुलने के दिन अथवा उसके बाद प्रस्तुत किये जाने चाहिए, लेकिन शाखा/कार्यालय /ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** के खुलने के पहले नहीं ।

II. प्रोफार्मा - I सभी तरह की नयी खुली हुई बैंक **शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं** के लिए है तथा प्रोफार्मा - II विद्यमान बैंक **शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं की स्थिति/डाक पते में परिवर्तन, बंद होने/विलयन/परिवर्तन/पुनःस्थापन /*उन्नयन*** आदि रिपोर्ट करने के लिए है ।

III. अब तक एकसमान कूट संख्याएं भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग विवरणियां (7(ख) में स्पष्टीकरण देखें) प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालयों/ शाखाओं को दी जाती थीं । हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि स्टैण्ड-एलोन एटीएम/विस्तार पटलों /अनुषंगी कार्यालय /प्रतिनिधि कार्यालय/ नकदी काऊंटर/इन्स्पेक्टोरेट/वसूली काउंटर/मोबाइल कार्यालय/ एअरपोर्ट काउंटर/ होटल काउंटर/एक्स्चेंज ब्यूरो जैसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं (एनएआइओ - अस्थायी कार्यालयों), को 9 अंकों वाली एकसमान कूट संख्याएं आबंटित की जाए । <u>तथापि किसी मेले/प्रदर्शनी आदि के स्थान पर खोले गये अस्थायी कार्यालय से संबंधित प्रोफार्मा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को न भेजें ।</u>

IV. जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी नयी **शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं,** को भाग I कूट संख्या देने की अनुमति दी गयी है; उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को **प्रोफार्मा - I** प्रेषित करते समय उपर्युक्त III में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन करना होगा ।

V. किसी ऐसे कार्यालय का, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, संपूर्ण शाखा/ कार्यालय में उन्नयन किया जाता है तो उसे मूल कार्यालय का बंद होना और शाखा / कार्यालय का खुलना समझा जाए । तदनुसार, उस कार्यालय, जो

प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा शाखा / कार्यालय में उन्नयन के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाए ।

VI. विकल्पतः, यदि किसी शाखा /कार्यालय को, ऐसे कार्यालय में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, परिवर्तित किया गया है, तो शाखा /कार्यालय के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा परिवर्तन /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, खोलने के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

VII. **भाग - I तथा भाग - II** कूट संख्या के आबंटन /भाग -II कूट संख्या में संशोधन के लिए प्रोफार्मा- I तथा II तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्रोफार्मा की सभी मदें उचित रूप से भरी नहीं जाती हैं ।

प्रोफार्मा -I की मदों का स्पष्टीकरण

मद सं. 1 (ग) :

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई तथा उसके 6 सहयोगी बैंक एवं 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लि.) को केवल अपनी शाखाओं/ कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं को 7/9 अंक वाली भाग - I कूट संख्याएं देने की अनुमति है तथा अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) भाग - I तथा भाग II दोनों कूट संख्याएं आबंटित करता है। ऐसा प्रत्येक कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी स्वतंत्र शाखा से संबद्ध होता है। जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है उसके लिए भाग - I कूट संख्या के अंतिम दो अंक (बायें से 8वां तथा 9वां अंक) हैं, जिनके आगे आधार शाखा की 7 अंकीय भाग - I कूट संख्या होगी ।

बैंकों की शाखाओं /कार्यालयों की एकसमान कूट संख्या दो भागों की होती है, - प्रति 7 अंकों की भाग - I **कूट संख्या तथा भाग - II** कूट संख्या; जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं उनकी **भाग - I** कूट संख्या को 2 अतिरिक्त अंक जोड़ दिये जाते हैं ।

भाग - I कूट संख्या निम्नानुसार परिभाषित की जाती है :

- ***वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं*** *की शाखाओं /कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो* प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं **हैं,** के लिए :

  बायें से **पहले तीन अंक बैंक की कूट संख्या** से संबंधित हैं
  अगले चार अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की **कूट संख्या** दर्शाते हैं ।

- ***राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य /केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं :***

  बाएं से **पहले चार अंक बैंक कूट** संख्या दर्शाते हैं
  अगले तीन अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, की कूट **संख्या** दर्शाते है ।

- *अन्य सहकारी बैंकों, सैलरी अर्नर्स सोसाइटी, राज्य वित्तीय निगमों तथा* ***टूर्स, ट्रैवल्स, वित्त तथा पट्टादायी कंपनियों*** *की शाखाओं /कार्यालयों / ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :*

  बाएं से पहले पांच अंक बैंक कूट संख्या दर्शाते हैं ।
  अगले दो अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं ।

अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की कूट संख्या दर्शाते हैं ।

भाग - II कूट संख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, चाहे 'बैंकों'की श्रेणी कुछ भी क्यों न हों,

बाएं से **पहले तीन अंक जिला कूट संख्या** दर्शाते हैं ।
अगले तीन अंक जिले के भीतर **केंद्र कूट संख्या** दर्शाते हैं ।
अंतिम एकल अंक जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या दर्शाता है ।

जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या तथा जनसंख्या समूह कूट संख्या के बीच का संबंध नीचे दर्शाया गया है :

एकसमान कूट संख्या (जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या) के भाग - II का अंतिम अंक	जनसंख्या विस्तार सीमा	जनसंख्या समूह	जनसंख्या समूह कूट संख्या
1	4999 तक	*ग्रामीण*	*1*
2	5000 से 9999 तक		
3	10000 से 19,999	*अर्धशहरी*	*2*
4	20,000 से 49,999		
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999	*शहरी*	*3*
7	2,00,000 से 4,99,999		
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख तथा उससे अधिक	*महानगर*	*4*

मद सं. 2 (क) :

शाखा /कार्यालय /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, का नाम लिखना चाहिए ।

मद सं. 2 (ख) :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए प्राधिकार /अनुमोदन पत्र की संदर्भ सं.तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

मद सं. 2 (ग) :

लाइसेंस सं. यदि पहले से ही उपलब्ध है (भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किये गये अनुसार) तो लिखनी है, अगर उपलब्ध नहीं है तो उसे एकसमान कूट संख्याओं के साथ बाद में संप्रेषित किया जाना चाहिए ।

मद सं. 2 (घ) :

लाइसेंस की सही तारीख (माह तथा वर्ष सहित) दर्शाई जानी है ।

मद सं. 2 (ङ) :

यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, लाइसेंस जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद खोला गया है तो कृपया दर्शाएं कि क्या लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण किया गया था अथवा नहीं, तथा यदि पुनर्वैधीकरण किया गया था तो उसकी तारीख का उल्लेख करें ।

मद सं. 3 :

खोलने की सही तारीख, माह तथा वर्ष लिखें ।

मद सं. 4.1 से 4.3 तथा 4.6 से 4.8 :

नाम/संख्याएं/कूट संख्याएं उचित मद संख्या के समक्ष लिखें। मद सं. 4.3 (ख) के समक्ष पिन कोड दर्शाएं । मोबाइल कार्यालय तथा मोबाइल एटीएम के संबंध में आधार शाखा / कार्यालय का विस्तृत पता रिपोर्ट करें ।

मद सं. 4.4 :

जहां शाखा /कार्यालय /**ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** स्थित है, उस इलाके के सही स्थान का नाम बताएं । यदि शाखा /कार्यालय /**ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,** किसी गाँव में खोला गया है तो उस गाँव का नाम ही इलाके का नाम होगा । **मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिए जाएं ।**

मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) :

मद 5 (क) में दिये गये केंद्र के नाम के संदर्भ में तहसील /तालुका /उप-प्रभाग तथा सामुदायिक विकास खंड के नाम क्रमशः मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) के सामने दर्शाएं । महानगरीय केंद्रों के मामले में यह लागू नहीं होगा ।

मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिये जाने चाहिए ।

मद सं. 5 (क) :

मद सं. 4.4 में उल्लिखित इलाका जिस गांव/शहर/नगर/नगरपालिका/नगरपालिका निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है उसका नाम लिखें। उस गांव का नाम लिखें अगर शाखा/ कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, ऐसे गांव में खोला गया है जो कि राजस्व यूनिट/केंद्र है । मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा/कार्यालय के संबंधित ब्योरे किये जाने चाहिए ।

सावधानी :

यदि मद सं. 5 (क) में केंद्र का नाम सही नहीं लिखा है तो गलत भाग - II कूट संख्या के साथ शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है, का गलत वर्गीकरण हो सकता है । मद सं. 4.4 तथा 5 (क) के समक्ष पंचायत / खंड /तहसील /जिले आदि का नाम तब तक नहीं आना चाहिए जब तक शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, पंचायत /खंड /तहसील /जिले के मुख्यालय में स्थित न हो ।

मद सं. 5 (ङ) : (मद सं. 5 (क) भी देखें)

शाखा / कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,जहां स्थित है उस केंद्र (राजस्व यूनिट) की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े दें । पूर्ण पंचायत /खंड /तहसील /जिले आदि की जनसंख्या को विचार में न लें । **राजस्व केंद्र** की जनसंख्या जनगणना हैण्डबुक /स्थानीय जनगणना प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्रशासन जैसे - जिला कलेक्टर /तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी आदि से प्राप्त की जा सकती है और इस आशय का प्रमाणपत्र (मूल रूप में) जिसमें निम्नलिखित दो पहलू शामिल हैं, संबंधित स्थानीय प्रशासन से प्राप्त कर प्रेषित किया जाए :

(i) संदर्भाधीन शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, जहाँ स्थित है उस राजस्व केंद्र का नाम ।

(ii) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व केंद्र की जनसंख्या ।

मद सं. 6 :

कोई भी कार्यालय प्रशासनिक रूप से तब स्वतंत्र है, जब वह अलग खाता बहियाँ रखता है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को एक अथवा अधिक बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं । यदि उपर्युक्त मद सं. 5 (क) में उल्लिखित केंद्र (राजस्व यूनिट) में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा किसी अन्य वाणिज्य /सहकारी बैंक की कोई प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र शाखा /कार्यालय नहीं है जिसकी सीमा के अंदर नई शाखा /कार्यालय स्थित है तो 'नहीं' के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं, अन्यथा 'हां' के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं ।

मद सं. 7 (क) :

विभिन्न प्रकार (व्यावसायिक स्थिति) की शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के नाम तथा संबंधित कूट संख्याएं नीचे I से IV श्रेणियों में सूचीबद्ध की गयी हैं । समुचित **स्थिति** का नाम तथा तदनुरूपी कूट संख्या लिखी जानी चाहिए ।

चूँकि सूची व्यापक नहीं है, इसलिए कृपया कार्यालय /शाखा /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है की सही स्थिति "कोई अन्य शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं**" श्रेणी के अंतर्गत दें :

I. *प्रशासनिक कार्यालय के मामले में*

कूट सं.	स्थिति का नाम
(01)	पंजीकृत कार्यालय
(02)	केंद्रीय /मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय
(03)	स्थानीय मुख्य कार्यालय
(04)	क्षेत्रीय कार्यालय /क्षेत्र कार्यालय /अंचल कार्यालय /मंडल कार्यालय / परिमंडल कार्यालय
(05)	निधि प्रबंधन कार्यालय
(06)	अग्रणी बैंक कार्यालय
(07)	प्रशिक्षण केंद्र
(09)	कोई अन्य प्रशासनिक कार्यालय (जो ऊपर शामिल न किया गया हो, कृपया स्पष्ट करें)

II. *सामान्य बैंकिंग शाखा के मामले में*

कूट सं.	स्थिति का नाम
(10)	सामान्य बैंकिंग शाखा

III. *विशेषीकृत शाखा के मामले में*

(क) *कृषि विकास/वित्त शाखाएं*

(11)	कृषि विकास शाखा (एडीबी)
(12)	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा हाइ-टेक (एसएएफबी हाइ-टेक)
(13)	कृषि वित्त शाखा (एएफबी)

(ख) *लघु उद्योग /लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखाएं*

(16)	लघु कारोबार विकास शाखा /कार्यालय
(17)	लघु उद्योग शाखा (एसएसआइ)
(18)	लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखा (एसआइबी)

(ग) *औद्योगिक /कंपनी वित्त /बड़े अग्रिम शाखाएं*

(21)	औद्योगिक वित्त शाखा (आइएफबी)
(22)	कंपनी वित्त शाखा (सीएफबी)
(23)	किराया खरीद तथा पट्टादायी वित्त शाखा
(24)	औद्योगिक खाता शाखा
(25)	बड़े अग्रिम शाखा
(26)	कारोबार वित्त शाखा
(27)	मध्यम कंपनी (मिड कॉर्पोरेट) शाखा

(घ) *परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन /औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखाएं*

(30) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन सेवा शाखा (एआरएमएस)

(31) औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखा

(ङ) *पूंजी बाजार/अभिरक्षक सेवाएं मर्चंट/व्यापारिक (मर्कंटाइल) बैंकिंग शाखाएं*

(35) पूंजी बाजार सेवा शाखा (सीएमएस)

(36) अभिरक्षक सेवा शाखा

(37) मर्चंट बैंकिंग शाखा

(38) मर्कंटाइल बैंकिंग शाखा

(च) *विदेशी /अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय /शाखाएं*

(41) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय /शाखाएं

(42) विदेशी शाखा

(43) अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शाखा /कार्यालय /केंद्र

(44) अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शाखा

(छ) *वाणिज्य /व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं*

(47) अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) शाखा

(48) आवास वित्त शाखा

(49) व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा शाखा

(50) उपभोक्ता वित्त शाखा

(51) विशेषीकृत बचत शाखा

(52) वाणिज्य तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा

(53) विशेषीकृत वाणिज्य शाखा

(54) ड्राफ्ट अदाकर्ता (पेइंग) शाखा

(55) व्यावसायिक (प्रोफेशनल्स) शाखा

(56) लॉकर शाखा

(57) विशेषीकृत व्यापार शाखा

(58) डायमंड शाखा

(59) आवास वित्त व्यक्ति बैंकिंग शाखा

(ज) *वसूली तथा अदायगी /शीघ्र (तेज) सेवा /एसटीएआरएस /स्टार्स शाखाएं*

(63) सेवा शाखा /समाशोधन शाखा /कक्ष

(64) वसूली तथा अदायगी सेवा शाखा

(65) शीघ्र वसूली शाखा

(66) तेज सेवा शाखा

(67) शीघ्र अंतरण तथा वसूली सेवा (स्टार्स) शाखा

(झ) *अन्य प्रकार की विशेषीकृत शाखाएं*

(71) राजकोष शाखा (सरकारी कारोबार)

(72) शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) शाखा

(73) ऑटो-टेक शाखा

(74) निधि अंतरण सेवा (एफटीएस) शाखा
(75) कमज़ोर वर्ग शाखा
(76) सुरक्षा सेवा शाखा
(77) विशेषीकृत महिला उद्यमी शाखा
(78) विशेषीकृत नकदी प्रबंधन सेवा शाखा
(79) स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो सेफ शाखा
(80) विशेषीकृत शाखा/कार्यालय की कोई अन्य श्रेणी
(ऊपर शामिल न की गयी, कृपया स्पष्ट करें)

IV. <u>ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के मामले में</u>

(85) विस्तार पटल
(86) अनुषंगी कार्यालय
(87) मोबाइल कार्यालय
(88) सेवा शाखा *
(89) मोबाइल एटीएम
(90) ऑन-साइट एटीएम
(91) ऑफ -साइट एटीएम
(92) प्रतिनिधि कार्यालय
(93) विनिमय ब्यूरो
(99) ऐसे कोई अन्य कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं
*** यदि वह अलग खाता-बही नहीं रखती है**

<u>मद सं. 7 (ख) :</u>

जो कार्यालय प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, उनमें अलग खाता बहियां नहीं रखी जाती हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती हैं । ऐसे कार्यालय उस आधार शाखा /कार्यालय का नाम तथा उसकी एकसमान कूट संख्याएं दें जिनके साथ उन कार्यालयों, **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं** (एनएआइओ) के खाते रखे जाएंगे।

<u>मद सं. 8 (ii) (क) (घ) :</u>

नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उचित कूट संख्या दर्शाएं:

<u>कूट संख्या</u>	**<u>क्षेत्र प्रकार</u>**
(0)	सामान्य क्षेत्र
(1)	सीमा क्षेत्र
(2)	उपद्रवग्रस्त क्षेत्र (अधिक जोखिम)
(3)	प्राकृतिक विपत्तियों (बाढ़ /भूकंप प्रवण क्षेत्र आदि) से प्रभावित क्षेत्र
(4)	हिमपात आदि के कारण पर्याप्त परिवहन सुविधा से रहित क्षेत्र

टिप्पणी : अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क अथवा पत्राचार करें :

निदेशक
बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय
सी - 9, छठी मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
फोन नं : (022) 2657 8100 एक्स. 7360
फैक्स : (022) 2657 0847 / 2657 2319

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र से एकत्रित की गयी परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 99/22.01.009/2009-2010	26.04.2010	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
2.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/22.01.001/2009-10	01.02.2010	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट
3.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 65/22.01.001/2009-10	01.12.2009	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट
4.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 63/22.01.009/2009-10	30.11.2009	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग
5.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 137/22.01.001/2008-09	12.06.2009	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट - ऑफ साइट एटीएम
6.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 129/ 22.01.009/2008-09	24.04.2009	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रदाताओं (बीएफ) और व्यवसाय प्रति निधियों (बीसी) का उपयोग
7.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 36/ 22.01.009/2008-09	27.08.2008	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग
8.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 35/ 22.01.009/2008-09	27.08.2008	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग -धारा 25 कंपनियाँ
9.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 32/22.01.03/2008-09	21.08.2008	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं /कार्यालयों के लिए पट्टे /किराए पर स्थान /जगह का अभिग्रहण दिशानिर्देश का उदारीकरण
10.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 16/ 22.01.001/2008-09	01.07.2008	शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र
11.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/22.01.009/2007-08	24.04.2008	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन -व्यवसाय सुविधादाता /संपर्ककर्ताओं का उपयोग
12.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 16/ 22.01.001/2007-	02.07.2007	शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र

	08		
13.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 99/22.01.010/2006-07	24.05.2007	डोरस्टेप बैंकिंग
14.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 59/22.01.010/2006-07	21.02.2007	डोरस्टेप बैंकिंग
15.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 11/22.01.001/2006	01.07.2006	शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र
16.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/ 22.01.009/2008-09	22.03.2006	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन -व्यवसाय सुविधादाता/संपर्ककर्ता का उपयोग
17.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 58/22.01.001/2005-06	25.01.2006	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं का उपयोग
18.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 55/22.01.001/2005-06	23.01.2006	उदारीकृत शाखा प्राधिकरण नीति
19.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 35/22.01.001/2005-06	08.09.2005	उदारीकृत शाखा प्राधिकरण नीति
20.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 24/ 22.01.001/2005-06	03.08.2005	बैंकों की शाखा विस्तार कार्यनीति
21.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 92/22.01.001/2004-05	20.05.2005	तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I एवं II
22.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 86/22.01.001/2004-05	30.04.2005	डोरस्टेप बैंकिंग
23.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 82/ 22.01.001/2004-05	27.04.2005	शाखाओं/कार्यालयों का स्थानांतरण - क्रियाविधि को सरल तथा कारगर बनाना
24.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 39/ 22.01.001/2004-05	10.09.2004	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र / बैक ऑफिस इत्यादि खोलना
25.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 23/ 22.01.001/2003	11.09.2003	विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) पर डिपोजिटरी सेवाएं देना
26	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी.	18.08.20	बैंक शाखाओं का अभिग्रहण (टेक ओवर)

.	13/ 22.01.001/2003	03	
27.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 5/ 22.01.001/2003	23.07.2003	ए टी एम के जरिए निधियों का तीसरी पार्टी को अंतरण
28.	बैंपविवि. सं. आइबीएस.बीसी. 32 /23.03.001/2002-03	17.10.2002	विदेशी बैंकों की शाखाएं बंद करना
29.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/ 22.01.001/2002	11.03.2002	सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तित किया जाना
30.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 62/ 22.01.001/2002	28.01.2002	ए टी एम नेटवर्क पर तीसरी पार्टी के विज्ञापन
31.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 23/22.01.001/2000-01	12.09.2000	शाखाएँ / विस्तार पटल खोलना / स्थान बदलना आदि - लाइसेंस पहले से प्राप्त करना
32.	बैंपविवि. सं. बीसी. 13 / 22.01.03/2000-01	04.08.2000	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयोग के लिए पट्टे/किराए पर मकान का अभिग्रहण
33.	बैंपविवि. सं. बीसी. 127 / 12.05.005/99-2000	30.11.1999	रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का युक्तिकरण
34.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 105/ 22.01.03/98	11.11.1998	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयोग के लिए पट्टे/किराए पर मकान का अभिग्रहण
35.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/ 22.01.03/98	29.07.1998	ब्लॉक / सेवा क्षेत्र से बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थानांतरण और ग्रामीण शाखाओं को बंद करना
36.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 115/ 22.06.001/97	21.10.1997	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी-मासिक विवरणियों की प्रस्तुति - प्रोफार्मा II और III में संशोधन
37.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 64/ 22.01.003/97	05.06.1997	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलना - दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)
38.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 76/ 22.01.001/96	17.06.1996	बैंपविवि के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन
39.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/ 21.03.051/96	16.05.1996	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
40.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 123/21.03.051/95	16.10.1995	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
41.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 152/ 21.03.051/94	29.12.1994	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
42	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी.	24.08.19	बैंक शाखाएं खोलना/बंद करना

.	152/ 22.01.001/93	93	
43.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 41/22.01.001/92	09.10.1992	बैंकों को कार्यालयों का स्थान बदलने, नया कारोबार करने आदि के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन
44.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी.132/ 22.01.001/92	20.05.1992	बैंकों को कार्यालय स्थानांतरित करने, नियंत्रण कार्यालय खोलने, नया कारोबार करने आदि के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन
45.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 24/ बीएल. 66/91	06.09.1991	केरल में कार्यालयेां/शाखाओं के नाम में परिवर्तन
46.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 132/ सी.168 (एम) - 91	11.06.1991	विशेषीकृत गृह निर्माण वित्त शाखाएं खोलना
47.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 81/ सी 168 (64डी)- 91	16.02.1991	बैंक शाखाएं खोलना/बंद करना
48.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 68/ सी 168 (64डी) - 91	16.01.1991	भविष्य में शाखा विस्तार के प्रति दृष्टिकोण
49.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 16/ सी 168 (64डी) - 90	12.09.1990	भविष्य में शाखा विस्तार के प्रति दृष्टिकोण
50.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/सी 168 (64डी) - 87	14.12.1987	शाखा लाइसेंसीकरण नीति 1985-90 - अनुषंगी/चल शाखाएं स्थापित करना
51.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 86/सी 168 -84	21.08.1984	स्थानीय इलाका/मार्ग आदि के नाम बदलने के कारण शाखा के नाम में परिवर्तन की आवश्यकता
52.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 147/सी 168 - 78	20.10.1978	बैंकों की शाखाओं के नाम में परिवर्तन
53.	बैंपविवि. सं. बीएल. 99/सी 168 - 68	19.01.1968	चल कार्यालय खोलना